2021 का विधेयक संख्यांक 16।

[दि चार्टर्ड अकाउंटेंट, दि कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड दि कंपनी सेक्रेट्रीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति लगाया जाएगा ।

अध्याय 2

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

दीर्घ शीर्षक और उद्देशिका का संशोधन ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम,1949 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक और उद्देशिका में, "विनियम" शब्द के स्थान पर, "विनियम और विकास" शब्द रखे जाएंगे । 1949 का 38

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ककक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कख) "अनुशासन बोर्ड" से धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन गठित अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(खक) "समन्वय समिति" से धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति अभिप्रेत है ;

(खख) "कंपनी अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 या उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 67 में यथापरिभाषित कोई अन्य पूर्व कंपनी विधि अभिप्रेत है ;'; 2013 का 18

(iii) खंड (ग) में "संस्थान की परिषद्" शब्दों से पूर्व, "धारा 9 के अधीन गठित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (गक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गख) "निदेशक (अनुशासन)" से धारा 21 में निर्दिष्ट निदेशक (अनुशासन) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संयुक्त निदेशक (अनुशासन) सम्मिलित है ;

(गग) "अनुशासन समिति" से धारा 21ख की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन समिति अभिप्रेत है ;

(गघ) "अनुशासन निदेशालय" से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुशासन निदेशालय अभिप्रेत है ;

(गङ) "अध्येता" से संस्थान का अध्येता सदस्य अभिप्रेत है ;

(v) खंड (ङक) में "राजपत्र" शब्द के पश्चात् 'और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा' शब्द रखे जाएंगे ; 1932 का 9

(vi) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "रजिस्टर" से, यथास्थिति, धारा 19 के अधीन रखा गया संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर या धारा 20ख के अधीन रखा गया संस्थान की फर्मों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;';

(vii) खंड (जकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(जककक) "स्थायी समिति" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समिति अभिप्रेत है ;';

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आता हैं, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में खंड (v) और खंड (vi) में "भारत के बिना" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "भारत से बाहर" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) "जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) "जो पांच हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य, परिषद् द्वारा प्रमाणपत्र के लिए, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाने वाली वार्षिक फीस का संदाय करेगा और ऐसी फीस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पूर्व संदेय होगी ।";

धारा 8 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (iii) में "अननुमुक्त दिवालिया" शब्दों के पश्चात्, "या कोई अननुमुक्त शोधन अक्षम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन शोधन अक्षम घोषित किया गया है ; या" ; 2016 का 31

(iv) खंड (v) में,—

(क) "भारत के बिना" शब्दों के स्थान पर, "भारत के बाहर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "निर्वासन, या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 9 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) दोनों स्थानों पर पर आने वाले "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "आठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर, "संस्थान का सदस्य या फर्म का कोई भागीदार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 9क का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समन्वय समिति ।

"9क. (1) चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखाकार तथा कंपनी सचिव की वृत्तियों के विकास और सुमेलन के लिए एक समन्वय समिति होगी, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, प्रत्येक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से मिलकर बनेगी ।

(2) समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी ।

(3) समन्वय समिति की बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में की जाएगी ।

(4) समिति प्रत्येक संस्थान को सौंपे गए कृत्यों के प्रभावी समन्वय के लिए उत्तरदायी होगी और,—

(i) संस्थान की विद्या, अवसंरचना, क्वालिटी, अनुसंधान और सभी संबंधित कार्यों में सुधार को सुनिश्चित करेगी ;

(ii) वृत्ति को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए वृत्तियों के बीच समन्वय और सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करेगी ;

(iii) अंतःवृत्तिक विकास के लिए अंतरविषयक विनियामक तंत्रों को समरूप करेगी ;

(iv) व्यवसायों के लिए विनियामक नीतियों से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करना ;

(v) पूर्वोक्त खंड (i) से खंड (iv) से आनुषंगिक ऐसे अन्य कृत्य करना ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 10 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और,—

(i) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पहले परंतुक में "तीन से अधिक आनुक्रमिक अवधियों" शब्दों के स्थान पर, "दो आनुक्रमिक अवधियों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित और संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् का कोई सदस्य, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तुरंत प्रारंभ पर ऐसे सदस्य के रूप में दो पदावधियों के लिए पद धारण किया है या तीन वर्ष की दूसरी

पदावधि के लिए पदधारण कर रहा है, चार वर्ष की एक और अवधि के लिए लड़ने के लिए पात्र होगा तथा कोई सदस्य, जिसने एक पदावधि के लिए पद धारण किया है या तीन वर्ष की पहली पदावधि के लिए पद धारण कर रहा है, दो आनुक्रमिक अवधियों के लिए लड़ने हेतु पात्र होगा ।"।

धारा 12 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में, "मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) अध्यक्ष परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ;

(2ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं ;

(2ग) परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने का सुनिश्चय करना अध्यक्ष का कर्तव्य होगा ;

(2घ) यदि, किसी भी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या अध्यक्ष अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से शक्तियों का प्रयोग करने में या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कर्तव्यों का पालन करेगा ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ख) अभ्यावेशन हेतु अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए फीस विहित करना ;";

"(ग) किसी फर्म को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करना या इंकार करना ;";

(ii) खंड (घ) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(च) इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या उससे इंकार करने के लिए दिशा-निर्देश विहित करना ;

(चक) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी करना ;";

(iv) खंड (छ) का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (ज) में, "और संग्रहण" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(vii) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(ठ) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरुकता कार्यक्रम संचालित करना ;

(ठक) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अभिकरण या दूसरे देश के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव करना ;"।

नई धारा 15ख का अंत:स्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 15क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

संस्थान के कृत्य ।

"15ख. संस्थान के कृत्यों में,–

(क) अभ्यावेशन के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा ;

(ख) शिक्षु और संपरीक्षा सहायकों के नियोजन और प्रशिक्षण के लिए विनियम ;

(ग) चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यक्तियों के रजिस्टर को रखना और उसका प्रकाशन ;

(घ) फर्मों के रजिस्टर का अनुरक्षण और प्रकाशन ;

(ङ) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस का संग्रहण ;

(च) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के आदेशों की शर्त, के अधीन रहते हुए सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर से नामों को हटाना तथा सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर में नामों का, जिन्हें हटा दिया गया है, प्रत्यावर्तन ;

(छ) पुस्तकालय का अनुरक्षण और लेखांकन तथा अनुषंगी विषयों से संबंधित पुस्तकों और आवधिक पत्रों का प्रकाशन ;

(ज) संस्थान की परिषद् के निर्वाचनों का संचालन ; और

(झ) परिषद् द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या इंकार करना,

सम्मिलित होगा ।"।

धारा 16 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 16 में,–

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) परिषद् अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए–

(क) एक सचिव की नियुक्ति करेगी, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में संस्थान के प्रशासनिक कृत्य भी करेगा ;

(ख) निदेशक (अनुशासन) और संस्थान के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून संयुक्त निदेशक (अनुशासन) के ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, जो उन्हें इस अधिनियम के अधीन और तदधीन विरचित नियमों और विनियमों के अधीन सौंपे जाएं, का निष्पादन करने के लिए नियुक्ति करेगी :

परंतु किसी निदेशक (अनुशासन) या संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की कोई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति का समापन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति का

समापन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न किया जाए ।";

(ii) उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों, उनके वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को विहित करना ;"।

धारा 18 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे, जो विहित की जाए और वह परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा रखे गए लेखापरीक्षकों के पैनल से नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउन्टेंटो की फर्म द्वारा वार्षिक रूप से की जाने वाली लेखापरीक्षा के अधीन होंगे :

परंतु कोई फर्म इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी यदि उसका कोई भागीदार परिषद् का सदस्य है या पिछले चार वर्ष के दौरान सदस्य रहा है :

परंतु यह और कि परिषद् की जानकारी में यह लाए जाने पर कि परिषद् के लेखे उसके वित्त का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तब परिषद् स्वयं एक विशेष लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेगी :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को ऐसी सूचना भेजी जाती है कि परिषद् के लेखें उसके वित्त का सही और उचित दृश्य उत्पन्न नहीं करते है ,तो जहां वे समुचित हो ,परिषद् एक विशेष लेखा परीक्षा करवाएगी या ऐसी अन्य कार्रवाई करेगी ,जो वह आवश्यक समझे और उस पर की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

धारा 19 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) परिषद् संस्थान के सदस्यों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगी, जो विहित की जाएं ।";

(iii) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) उसके विरुद्ध अध्याय 5के अधीन क्या कोई कार्रवाई योग्य सूचना या शिकायत लंबित है या कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसके अंतर्गत उसके ब्यौरे हैं, यदि कोई हों ;";

(iv) उपधारा (4) में,—

(क) "जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।"।

धारा 20 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) "जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 4क का अंत:स्थापन ।

20. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 4क

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण ।

20क. किसी फर्म के भागीदार या स्वामी द्वारा परिषद् को उसके नाम के अनुमोदन तथा रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए किए गए आवेदन पर प्रत्येक फर्म को संस्थान के पास ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, रजिस्टर किया जाएगा :

परंतु परिषद् किसी फर्म को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगी यदि ऐसी फर्म का नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी फर्म या भारत में या भारत से बाहर किसी फर्म द्वारा उपयोग किए गए नाम से मिलता-जुलता है या उसके समान है या परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है ।

फर्मों का रजिस्टर ।

20ख. (1) परिषद्, फर्मों का एक रजिस्टर, ऐसी रीति में रखेगी, जो विहित किया जाए ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में, फर्म के संबंध में, ऐसी विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनके अंतर्गत ऐसे प्ररूप और ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किया जाए, अध्याय 5 के अधीन उसके विरुद्ध किसी कार्रवाई योग्य सूचना या शिकायत या उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के ब्यौरे हैं ।

(3) परिषद् ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार या ऐसे अंतराल पर, जिसका परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाए, संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्मों की सूची प्रकाशित करवाएगी और सूची को ऐसे व्यक्तियों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर उपलब्ध कराएगी ।

फर्मों के रजिस्टर से हटाया जाना ।

20ग. परिषद् फर्मों के रजिस्टर से किसी फर्म के नाम को हटाएगी,—

(क) जिसका विघटन या परिसमापन हो गया है ; या

(ख) जिससे इस निमित्त कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ग) जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन दिवाला या शोधन अक्षम घोषित किया गया है और जो अननुमुक्त रहती है ; या

(घ) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट के वृत्ति से संबंधित किसी

कार्यकलाप या कार्यकलापों को करने से वर्जित किया गया है ; या

(ङ) जिसके संबंध में हटाए जाने का इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित किया गया है ।

परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन ।

20घ. (1) रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई फर्म परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे इंकार की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर आवेदन कर सकेगी ।

(2) परिषद् पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकार किए गए विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या उसे अपास्त कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह समुचित समझे ।"।

धारा 21 का प्रतिस्थापन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुशासनिक निदेशालय ।

"21. (1) परिषद् जांच करने के लिए या तो स्व:प्रेरणा से या किसी सूचना या किसी शिकायत की प्राप्ति पर जांच करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना करेगी, जो संस्थान के निदेशक (अनुशासन), उप सचिव के रैंक से अन्यून कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन) और धारा 16 के अधीन नियुक्त अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगा ।

(2) किसी सूचना या शिकायत की ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, के साथ प्राप्ति पर, निदेशक (अनुशासन) ऐसी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर विनिश्चय करेगा कि क्या शिकायत या सूचना पर कोई कार्रवाई की जा सकती है या यथाविनिर्दिष्ट रूप से वह किसी कार्रवाई के योग्य नहीं है, के कारणों से वह बंद किए जाने की दायी है :

परंतु निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचना प्रदाता से उसे यह विनिश्चय करने से पन्द्रह दिन पूर्व कि क्या मामला कार्रवाई किए जाने योग्य है या कार्रवाई किए जाने योग्य नहीं है, अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा :

परंतु यह और कि निदेशक (अनुशासन) कार्रवाई न की जाने योग्य शिकायतों या सूचना की सिफारिश को अनुशासन बोर्ड को उनकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुशासन बोर्ड गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् ऐसी किसी शिकायत या सूचना को और जांच संचालित करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) मामले की जांच करते हुए जिसे कार्रवाई करने योग्य समझा जाता है, निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, सदस्य या फर्म को इक्कीस दिन के भीतर एक लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिसका इक्कीस दिन की और अवधि के लिए और विस्तार की ईप्सा करने के कारणों को देते हुए विस्तार किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लिखित विवरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर निदेशक (अनुशासन), उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता या सूचना दाता को भेजेगा और शिकायतकर्ता और सूचनादाता ऐसा लिखित विवरण प्राप्त होने के इक्कीस दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लिखित विवरण और उपधारा (4) के अधीन

प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर निदेशक (अनुशासन) तीस दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यदि प्रथमदृष्टया, यथास्थिति, सदस्य या फर्म के विरुद्ध कोई मामला बनता है ।

(6) पहली अनुसूची में अधिकथित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का यदि प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो निदेशक (अनुशासन), निदेशक बोर्ड को एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा जहां दूसरी अनुसूची में या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में, अधिकथित वृत्तिक या अन्य अवचार का प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक समिति को प्रस्तुत करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फाइल की गई किसी शिकायत या सूचना को, जो जांच रिपोर्ट या समर्थनकारी साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट के सुसंगत सार द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित है, को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट माना जाएगा :

परंतु यह और कि जहां प्रथम दृष्टया, यथास्थिति, सदस्य या फर्म के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो निदेशक (अनुशासन) सुसंगत दस्तावेजों के साथ ऐसी सूचना या शिकायत को अनुशासन बोर्ड को भेजेगा और अनुशासन बोर्ड यदि निदेशक (अनुशासन) के निष्कर्षों से सहमत होता है तो मामले को समाप्त कर देगा या असहमति की दशा में स्वयं अग्रसर हो सकेगा या अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा या निदेशक (अनुशासन) को मामले की और जांच करने के लिए परामर्श देगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए अनुशासनिक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) अनुशासनिक निदेशालय के पास पारित शिकायत का किसी भी स्थिति में प्रतिसंहरण नहीं किया जाएगा ।

(9) अनुशासन निदेशालय ,अनुशासन बोर्ड और अनुशासनिक समिति के समक्ष लंबित कार्रवाई की जा सकने वाली सूचना और शिकायतें तथा धारा (21क) के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा और धारा (21ख) के अधीन अनुशासनिक समिति द्वारा पारित आदेशों को अनुशासन निदेशालय द्वारा पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में उपलब्ध कराया जाएगा ,जो विहित की जाए ।"।

धारा 21क का प्रतिस्थापन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 21क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुशासन बोर्ड ।

"21क. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले एक या अधिक अनुशासन बोर्डों का गठन करेगी—

(क) विधि का अनुभव और अनुशासनिक विषयों और व्यवसाय की जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य न हों ,जिसको परिषद् द्वारा तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए पैनल में से पीठासीन अधिकारी के रूप में ऐसी रीति में ,जो विहित की जाए ,केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) एक सदस्य, जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला विख्यात व्यक्ति, जो संस्थान का सदस्य न हों ,

जिसको परिषद् द्वारा तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए पैनल में से पीठासीन अधिकारी के रूप में, ऐसी रीति में ,जो विहित की जाए ,केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) एक सदस्य, जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् द्वारा तैयार किए गए संस्थान के सदस्यों के पैनल में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) उप सचिव की पंक्ति से अन्यून संस्थान का कोई अधिकारी अनुशासन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य इस उपधारा के अधीन गठिक भिन्न-भिन्न अनुशासन बोर्ड के लिए समान रहेंगे ।

(2) अनुशासन बोर्ड उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट पहचान विहीन कार्यवाहियां और आभासी सुनवाईयां हैं ।

(3) अनुशासन बोर्ड निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फाइल की गई है से इक्कीस दिन जिसका आपवादिक परिस्थितियों में कारणों को लेखबद्ध करते हुए इक्कीस दिन की और अवधि तक विस्तार किया जा सकेगा, के भीतर एक लिखित विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।

(4) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासन बोर्ड यह पाता है कि ऐसा सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को ऐसे निष्कर्ष से तीस दिन के भीतर सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाईयों में से कोई एक या अधिक किए जाने का, अर्थात् :—

(क) सदस्यों को धिग्दंडित और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने का ;

(ख) सदस्य के नाम को सदस्यों के रजिस्टर से छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने का ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने का, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, का,

आदेश पारित कर सकेगा ।

(6) जहां किसी सदस्य के संबंध में अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य या किसी जांच के प्रक्रम के दौरान, जांच के आधार पर, अनुशासन बोर्ड की यह राय बनती है कि ऐसा कोई सदस्य जो किसी फर्म का भागीदार या स्वामी है पहली अनुसूची में वर्णित अवचार का पिछले पांच वर्ष के दौरान बार-बार दोषी पाया गया है तो ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) फर्म को चार्टर्ड एकाउंटेंट की वृत्ति में व्यवसाय से संबंधित कोई कार्यकलाप या कार्यकलापों को करने से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए

प्रतिषिद्ध कर सकेगा ; या

(ख) ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

(7) जब कोई सदस्य या फर्म, उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो परिषद् ऐसे सदस्य या फर्म का नाम, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्म के रजिस्टर से ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटा देगी ।

(8) अनुशासन बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 21ख का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 21ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुशासन समिति ।

"21ख. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक होंगे—

(क) परिषद् द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए तैयार और उपबंधित किए गए व्यक्तियों के पैनल में से उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य नहीं है, जिसके पास विधि का अनुभव हो और अनुशासनिक मामलों और वृत्ति का ज्ञान हो;

(ख) परिषद् द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए तैयार और उपबंधित किए गए व्यक्तियों के पैनल में से उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य, जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखा-कर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति हों;

(ग) परिषद् द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए तैयार किए जाने वाले संस्थान के सदस्यों के पैनल में से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य:

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य इस धारा के अधीन गठित भिन्न-भिन्न अनुशासनिक समिति के लिए वही हो सकेंगे ।

(2) अनुशासनिक समिति उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पहचान विहीन कार्यवाहियों और वर्चुअल सुनवाइयों, जो विनिर्दिष्ट की जाएं भी हैं, का अनुसरण करेगी ।

(3) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति सदस्यों या फर्म के जिनके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है 21 दिन के भीतर जिसे अपवादिक परिस्थितियों में ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, 21 अतिरिक्त दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा, लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।" ;

(4) अनुशासन समिति उसकी जांच निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर पूरी करेगी ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासन समिति का यह निष्कर्ष है कि कोई

सदस्य दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, वहां वह ऐसे निष्कर्ष से तीस दिन के भीतर, उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्रवाई करेगी, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दंड देना और उसे सदस्यों के रजिस्टर में अभिलिखित करना ; या

(ख) सदस्य के नाम को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, रजिस्टर से हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो वह ठीक समझे, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अनुशासन समिति की अभिलेख पर लाए गए या किसी सदस्य से संबंधित जांच के क्रम के दौरान, साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि कोई ऐसा सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी है, पिछले पांच वर्ष के दौरान दूसरी अनुसूची या पहली और दूसरी अनुसूची दोनों में वर्णित अवचार का बार-बार दोषी पाया गया है फर्म के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी जाएगी, अर्थात् :—

(क) फर्म को दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करना और फर्म के रजिस्टर से उसका नाम स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जैसा वह उचित समझे, हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जैसा वह उचित समझे, जो पचास लाख तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म उपधारा (3क) या उपधारा (3ख) के अधीन ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अधिरोपित किए गए जुर्माने का संदाय करने में विफल रहता है तो परिषद् ऐसे सदस्य या फर्म का नाम ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्म के रजिस्टर से हटा देगी ।"।

(8) अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों को ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो विहित किए जाएं ।" ।

धारा 21ग का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 21ग में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 21घ का रखा जाना ।

25. मूल अधिनियम की धारा 21घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

संक्रमणकालीन उपबंध ।

"21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 के आरंभ से पूर्व, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष लंबित सभी शिकायतें या कोई जांच या अपील प्राधिकारी अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया निर्देश या दाखिल की गई कोई अपील इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगी, मानों कि यह अधिनियम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन)

अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित नहीं किया गया हो ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

परिभाषित वृतिक और अन्य अवचार।

"22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वृत्तिक या अन्य अवचार" पद में संस्थान के किसी सदस्य की ओर से किसी अनुसूची में यथा उल्लिखित या तो उसकी व्यक्तिगत क्षमता या फर्म के भागीदार या स्वामी के रूप में कोई कार्य या लोप सम्मिलित समझा जाएगा, लेकिन इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन ऐसे सदस्यों या फर्म के आचरण की जांच करने के लिए प्रदत्त शक्ति या निक्षेपित कर्तव्य किसी रूप में सीमित या न्यून करती हैं ।"।

धारा 22छ का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 22छ में, —

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "संस्थान का कोई सदस्य" शब्दों के पश्चात्, "या कोई फर्म" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "कोई शास्ति उस पर" शब्दों के स्थान पर, "कोई शास्ति ऐसे सदस्य या फर्म पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) अथवा धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) "उसे आदेश संसूचित किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे सदस्य या फर्म को आदेश संसूचित किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) अथवा धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किश्स जाएगा, अर्थात् :—

"(3) प्राधिकरण के किसी आदेश या कार्य या कार्यवाही को प्राधिकरण के गठन में केवल मात्र किसी त्रुटि या आकस्मिक रिक्ति या एक अथवा दो सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर, किसी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा :

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "संस्थान के सदस्य" में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो अवचार के अभिकथन की तारीख पर संस्थान का सदस्य था, तथापि वह जांच के समय संस्थान का सदस्य नहीं रहा हो ;

(आ) संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत "फर्म" भी ऐसे सदस्य जो अवचार के अभिकथन की तारीख पर उसका भागीदार या स्वामी है के

अवचार के लिए दायी होगी, तथापि जांच के समय वह ऐसा भागीदार या स्वामी नहीं रहा हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के अधीन की गई कोई कार्रवाई केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकारी या विनियामक निकाय द्वारा संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही करने का वर्जन नहीं करेगी ।"।

धारा 24 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) "एक हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 24क का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 24क की उपधारा (2) में,—

(i) "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,—

(क) "जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) संशोधन आवश्यक नहीं है ;

(ग) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "जुर्माने से, जो चार लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु बीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 26 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में,—

(क) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) संशोधन आवश्यक नहीं है ।

धारा 28ख का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 28ख के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) संस्थान या फर्मों के सदस्यों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों, जो उसके द्वारा उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आए हों, को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनकी परीक्षा के लिए अनुशासन महानिदेशालय को अग्रेषित करना ।"।

धारा 29 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में, "रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29क का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 29क की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सूचना या शिकायत फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस तथा उपधारा (2) के अधीन अनुयोज्य या गैर-अनुयोज्य रूप में सिकायत या सुचना का विनिश्चय करने की रीति और उपधारा (7) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय–सीमा ;

(घक) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय–सीमा ;"।

धारा 30 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख), खंड (ङ) और खंड (ज) में, "रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) और खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(द) धारा 5 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अर्हता ;

(दक) वे परिस्थितियां जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन व्यवसाय के प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं;

(दख) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्रदान करने या खारिज करने के मार्गदर्शक सिद्धांत;

(दग) धारा (16) की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, वेतन, फीस, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें;

(दघ) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने की रीति और उपधारा (5) के अधीन वार्षिक लेखे ;

(दङ) धारा 19 की उपरधारा (1) के अधीन संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति और वह रीति जिसमें संस्थान के पास

रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की वार्षिक सूची, धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की जाएगी;

(दच) धारा 20क के अधीन फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें ;

(दछ) फर्म के रजिस्टर और अन्य विशिष्टियों के अनुरक्षण की रीति, जिसके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन फर्म के विरूद्ध अनुयोज्य सूचना या शिकायत के लंबन अथवा किसी अधिरोपित शास्ति के अधिरोपन के ब्यौरे और वह रीति जिसमें संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्म की वार्षिक सूची, धारा 20ख की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की जाएगी, भी है;

(दज) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन अनुयोज्य सूचना और शिकायतों तथा पारित आदेशों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति;

(दझ) धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों के पैनल तैयार करने की रीति और इसकी उपधारा (8) के अधीन अनुशासन बोर्ड के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते;

(दञ) धारा 21ख की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों के पैनल तैयार करने की रीति और इसकी उपधारा (8) के अधीन अनुशासन बोर्ड के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(दट) धारा 22ङ की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें ;

(दठ) वह रीति जिसमें क्षेत्रीय परिषद् धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन गठित की जा सकेगी और उसके कृत्य ; और ।"।

प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) शीर्ष में, "धारा 21(3), धारा 21क(3)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 21(6), धारा 21क(5) और (6), धारा 21ख(5) और (6)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

1956 का 1
2013 का 18

(ii) भाग 1 के मद (9) में "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 255" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और धारा 141 अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) शीर्ष में, "धारा 21(3), धारा 21ख(3)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 21(6), धारा 21ख(5) और (6)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) भाग 1 के मद (3) में "ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह" शब्दों के स्थान "ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह या उसकी फर्म" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) भाग 2 में, मद (4) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के उल्लंघन में कंपनी के लेखा परीक्षक के रुप में कार्य करता है ।"। 2013 का 18

अध्याय 3

लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959

दीर्घ शीर्ष का संशोधन ।

38. लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्ष में "लागत और संकर्म लेखापालों की वृत्ति के विनियमन" शब्दों के स्थान पर "लागत लेखापालों की वृत्ति के विनियमन और विकास" शब्द रखे जाएंगे । 1959 का 23

धारा 1 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में "लागत और संकर्म लेखापाल" के स्थान पर "लागत लेखापाल" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ककक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कख) "अनुशासन बोर्ड" से धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड अभिप्रेत है;

(कग) "कंपनी अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 या उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (67) में यथा परिभाषित कोई अन्य पूर्व कंपनी विधि अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(खक) "निदेशक (अनुशासन)" से धारा 21 में निर्दिष्ट निदेशक (अनुशासन) अभिप्रेत है और उसमें संयुक्त निदेशक (अनुशासन) सम्मिलित है;

(खख) "अनुशासन समिति" से धारा 21ख की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन समिति अभिप्रेत है ;

(खग) "अनुशासन निदेशालय" से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुशासन निदेशालय अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (ग) में, "संस्थान की परिषद्" शब्दों से पहले "धारा 9 के अधीन गठित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) खंड (घ) में "1956 (1956 का 1)" अंकों और शब्द का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ङ) "अध्येता" से अध्येता सदस्य अभिप्रेत है ;

(vi) खंड (चक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(चक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और

पद 'अधिसूचित' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ; ';

(vii) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : —

'(झ) "रजिस्टर" से यथास्थिति, धारा 19 के अधीन अनुरक्षित संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर या धारा 20 के अधीन अनुरक्षित संस्थान की फर्मों का रजिस्टर अभिप्रेत है;';

(viii) खंड (झकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(झककक) "स्थायी समिति" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समिति अभिप्रेत है' ।

अध्याय 2 के शीर्ष का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के शीर्ष में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) संशोधन आवश्यक नहीं है;

(iii) उपधारा (3) में,—

"(क) "जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में,

(i) "जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(iii) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iii) में, "अनुन्मोचित दिवालिया" शब्दों के पश्चात् "या अनुन्मोचित शोधन असक्षम" शब्द अत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) दिवाला और शोधन असक्षता संहिता, 2016 के अधीन शोधन अक्षम घोषित किया गया है ;"; 2016 का 31

(iv) खंड (v) में संशोधन आवश्यक नहीं है ।

धारा 9 का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "संस्थान का कोई सदस्य या फर्म का कोई भागीदार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

47. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में, पहले परंतुक का लोप किया जायेगा;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) अध्यक्ष परिषद की बैठकों में पीठासीन होगा ।

(2ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किए जाए ।

(2ग) यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि परिषद द्वारा लिए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित किया जाए ।

(2घ) यदि किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है अथवा किसी अन्य कारण से वह उसे समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग या उसके कर्तव्यों का पालन करेगा ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

48. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन ।

49. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करना या नामंजूर करना ;"

(iii) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञक) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के मार्गदर्शक

सिद्धांत जारी करना;

(ञख) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(ञग) इस अधिनियम के अधीन उसके कत्र्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव करना ;

(iv) खंड (ट) में, "तीन मास की अवधि के भीतर उस पर की गई कार्रवाई के साथ रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में उसके समावेशन के साथ रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "और उसकी वार्षिक रिपोर्ट में उसपर की गई कार्रवाई के ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15क का संशोधन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 15क में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) फर्मों के रजिस्टर का अनुरक्षण और प्रकाशन ;";

(ii) खंड (ङ) में, "रजिस्टर से नामों का हटाया जाना और रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर " सदस्यों के रजिस्टर और फर्मों से नामों का हटाया जाना और सदस्यों के रजिस्टर और फर्मों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) परिषद्, उसके कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए—

(क) एक सचिव नियुक्त करेगी, जो संस्थान के प्रशासनिक कृत्यों का उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पालन करेगा;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) और संस्थान के उप सचिव से अन्यून पंक्ति के दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन), इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा विनियमों के अधीन ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए, जो उन्हें समनुदेशित किए जाए, नियुक्त करेगी:

परंतु निदेशक (अनुशासन) अथवा संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की कोई नियुक्ति या पुन:र्नियुक्ति अथवा नियुक्ति का पर्यवसान तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसी नियुक्ति या पुन:र्नियुक्ति अथवा नियुक्ति का पर्यवसान केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न किया गया हो ।";

(ii) उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियों, नियुक्ति की रीति, कर्तव्यों और कृत्यों को, उनके वेतन, फीस, भत्तें और सेवा की अन्य निबंधनें और शर्तें, विहित कर सकेगी ;"।

धारा 18 का संशोधन ।

52. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:—

"(5) परिषद के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए और वे परिषद द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुरक्षित संपरीक्षकों के पैनल से हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगें :

परंतु फर्म इस उपधारा के अधीन संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी यदि उसका कोई भागीदार परिषद् का सदस्य है या पिछले चार वर्षों के दौरान रहा है :

परंतु यह और कि यदि यह सूचना कि परिषद के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते, केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद को भेजी जाती है तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी और ऐसे अन्य कार्य कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और केंद्रीय सरकार को उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगी :

परंतु यह भी कि यदि केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद को ऐसी सूचना भेजी जाती है कि परिषद के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते, तो परिषद, जहां समुचित समझे, विशिष्ट संपरीक्षा करा सकेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई करा सकेगी, जो वह उचित समझे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।"

धारा 19 का संशोधन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) परिषद्, संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करेगी ।";

(iii) उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) क्या उसके विरूध अध्याय 5 के अधीन कोई अनुयोज्य सूचना या शिकायत लंबित है अथवा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत उसके ब्यौरे भी है ;";

(iv) उपधारा (4) में,—

(क) "और पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) "दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

55. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नये अध्याय 4क का अत:स्थापन ।

"अध्याय 4क

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर

फर्मों का रजिस्ट्रकरण ।

20क. (1) प्रत्येक फर्म, फर्म के किसी भागीदार या स्वामी द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जो विहित की जाए, परिषद् को किए गए आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

परंतु परिषद्, किसी फर्म को रजिस्टर करना नामंजूर कर सकेगी, यदि ऐसी फर्म का नाम, किसी अन्य फर्म के नाम के समरूप या समान है, जो पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है अथवा भारत के भीतर या बाहर किसी फर्म द्वारा नाम उपयोग में है या परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है ।

फर्मों का रजिस्टर।

20ख. (1) परिषद्, फर्मों का रजिस्टर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अनुरक्षित करेगी ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में, फर्म के बारे में ऐसी विशिष्टियां जिसके अंतर्गत उसके विरूध अध्याय 5 के अधीन अनुयोज्य सूचना या शिकायत के लंबन अथवा किसी शास्ति के अधिरोपन के ब्यौरे भी है, ऐसी रीति में और ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाए, सम्मिलित होगी ।

(3) परिषद्, प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रेल को या ऐसे अंतरालों पर, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाए, संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्मों की सूची, ऐसी रीति में, जो विहित किए जाए, प्रकाशित कराएगी और ऐसे व्यक्तियों को यह सूची, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, उपलब्ध कराएगी ।

फर्मों के रजिस्टर से हटाया जाना ।

20ग. परिषद्, फर्मों के रजिस्टर से ऐसी किसी फर्म के नाम को हटाएगी,—

(क) जिसका विघटन या परिसमापन हो गया है ; या

(ख) जिससे इस निमित्त कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

2016 का 31

(ग) जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन दिवाला या शोधन अक्षम घोषित किया गया है और जो अननुमोचित रहती है ; या

(घ) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा व्यवसायरत लागत लेखापाल के व्यवसाय से संबंधित किसी कार्यकलाप या किन्हीं कार्यकलापों को करने से वर्जित किया गया है ; या

(ङ) जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है ।

परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन ।

20घ. (1) रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई फर्म, ऐसे इंकार की तारीख के एक मास के भीतर, परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(2) परिषद्, पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस प्रकार किए गए विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या उसे अपास्त कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह समुचित समझे ।"।

धारा 21 का प्रतिस्थापन ।

56. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनुशासनिक निदेशालय ।

"21. (1) परिषद्, अन्वेषण करने के लिए, या तो स्व:प्रेरणा से या किसी सूचना या शिकायत की प्राप्ति पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति में ऐसी फीस के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाए, एक अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना करेगी, जो निदेशक (अनुशासन), संस्थान के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून के कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन) और धारा 16 के अधीन नियुक्त ऐसे अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगा ।

(2) किसी सूचना या शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, निदेशक (अनुशासन) ऐसी रीति में विनिश्चय करेगा जो विनर्दिष्ट की जाए, चाहे शिकायत या सूचना अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य रूप में बंद किए जाने के लिए दायी है :

परंतु निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचनादाता से, यह विनिश्चय करने से पूर्व कि क्या मामला अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य है, पन्द्रह दिन का समय देकर अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परंतु यह और कि गैर-अनुयोज्य शिकायत या सूचना के संबंध में निदेशक (अनुशासन) की सिफारिशों को अनुशासनिक बोर्ड को उनकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुशासनिक बोर्ड, उनके गुणागुण की जांच करने के पश्चात्, ऐसी शिकायत या सूचना को, उसका और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) किसी ऐसे मामले, जो अनुयोज्य पाया जाता है, का अन्वेषण करते समय, निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, सदस्य या फर्म को इक्कीस दिन के भीतर एक लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिसको अन्य इक्कीस दिन तक, अतिरिक्त विस्तार मांगने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर, निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को उसकी एक प्रति भेजेगा और शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला व्यक्ति ऐसे लिखित कथन की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन और उपधारा (4) के अधीन प्रत्युत्तर के प्राप्त हो जाने पर, निदेशक (अनुशासन), यदि, यथास्थिति, किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो तीस दिन के भीतर एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो निदेशक (अनुशासन), प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और जहां दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में, उल्लिखित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो वहां वह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक समिति को प्रस्तुत करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फाइल की गई शिकायत या सूचना, जो अन्वेषण रिपोर्ट या समर्थनकारी साक्ष्य के साथ अन्वेषण रिपोर्ट के सुसंगत उद्धरण द्वारा

सम्यकत: समर्थित है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के रूप में समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, वहां निदेशक (अनुशासन), अनुशासनिक बोर्ड को सुसंगत दस्तावेजों के साथ, ऐसी सूचना या शिकायत प्रस्तुत करेगा और अनुशासनिक बोर्ड, यदि वह निदेशक (अनुशासन) के निष्कर्षों से सहमत हो जाता है, मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में, स्वयं आगे कार्यवाही कर सकेगा या मामले को अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा या मामले का और आगे अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को सलाह दे सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषणों के प्रयोजनों के लिए, अनुशासनिक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) अनुशासनिक निदेशालय के पास फाइल की गई शिकायत किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं ली जाएगी ।

(9) अनुशासनिक निदेशालय, अनुशासनिक बोर्डों और अनुशासनिक समितियों के समक्ष लंबित शिकायतों और अनुयोज्य सूचना की प्रास्थिति और धारा 21क के अधीन अनुशासनिक बोर्ड तथा धारा 21ख के अधीन अनुशासनिक समिति द्वारा पारित आदेश, अनुशासनिक निदेशालय द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लोक अधिकारिता में उपलब्ध कराई जाएगी ।"।

धारा 21क का प्रतिस्थापन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 21क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

अनुशासनिक बोर्ड ।

"21क. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक अनुशासन बोर्डों का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,–

(क) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से, केंद्रीय सरकार द्वारा उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला, विधि का अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति, जो संस्थान का सदस्य नहीं है और जिसके पास अनुशासनिक विषयों और व्यवसाय का ज्ञान हो ;

(ख) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, जो एक ऐसा विख्यात व्यक्ति हो, जिसके पास विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव हो और जो संस्थान का सदस्य नहीं है ;

(ग) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए जाने वाले संस्थान के सदस्यों के पैनल में से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य ;

(घ) उप सचिव से अन्यून पंक्ति का संस्थान का एक अधिकारी, अनुशासनिक बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित भिन्न-भिन्न अनुशासनिक बोर्ड के लिए समान होगा ।

(2) अनुशासनिक बोर्ड, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय,

ऐसी प्रक्रिया, जिसमें फेसलेस कार्यवाहियां और वर्चुअल सुनवाइयों भी हैं, का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) अनुशासनिक बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फाइल की गई है, से अपेक्षा करेगा कि वह इक्कीस दिन के भीतर, लिखित कथन प्रस्तुत करे, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अन्य इक्कीस दिनों तक और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासनिक बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर अपनी जांच समाप्त करेगा ।

(5) जांच करने पर, यदि अनुशासनिक बोर्ड यह पाता है कि ऐसा सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निष्कर्ष के तीस दिन के भीतर और निम्नलिखित कार्रवाईयों में से कोई एक या अधिक कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) सदस्यों को धिग्दंडित देने का और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने का ;

(ख) सदस्य या सदस्यों के नाम को, सदस्यों के रजिस्टर से, छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने का ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने का, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर या किसी सदस्य से संबंधित जांच के दौरान, निदेशक बोर्ड की यह राय बनती है कि ऐसा कोई सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी है, गत पांच वर्षों के दौरान पहली अनुसूची में वर्णित अवचार का बारम्बार दोषी पाया गया है, वहां ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात् :--

(क) एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए व्यवसायरत लागत लेखापाल के व्यवसाय से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से फर्म को प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे, जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहता है या रहती है, वहां परिषद्, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या फर्म का नाम, सदस्यों के रजिस्टर या फर्मों के रजिस्टर से, ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटाएगी ।

(8) अनुशासनिक बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 21ख प्रतिस्थापन ।

58. मूल अधिनियम की धारा 21ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"21ख. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक अनुशासनिक समितियों का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,– अनुशासनिक समिति ।

(क) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से, केंद्रीय सरकार द्वारा उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला, विधि का अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति, जो संस्थान का सदस्य नहीं है और जिसके पास अनुशासनिक विषयों और व्यवसाय का ज्ञान हो ;

(ख) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य, जो ऐसे विख्यात व्यक्ति हों, जिनके पास विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव हो और जो संस्थान का सदस्य नहीं हैं ;

(ग) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए जाने वाले संस्थान के सदस्यों के पैनल में से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य :

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित भिन्न-भिन्न अनुशासनिक बोर्ड के लिए समान हो सकेंगे ।

(2) अनुशासनिक बोर्ड, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया, जिसमें फेसलेस कार्यवाहियां और वर्चुअल सुनवाइयों भी हैं, का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फाइल की गई है, से अपेक्षा करेगा कि वह इक्कीस दिन के भीतर, लिखित कथन प्रस्तुत करे, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अन्य इक्कीस दिनों तक और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर अपनी जांच समाप्त करेगी ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासनिक समिति यह पाती है कि ऐसा कोई सदस्य दूसरी अनुसूची में या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निष्कर्ष के तीस दिन के भीतर, निम्नलिखित कार्रवाईयों में से कोई एक या अधिक कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात् :–

(क) सदस्यों को धिग्दंडित देने का और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने का ;

(ख) सदस्य के नाम को, सदस्यों के रजिस्टर से, छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने का, जैसा वह ठीक समझे ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने का, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर या किसी सदस्य से संबंधित जांच के दौरान, अनुशासनिक समिति की यह राय बनती है कि ऐसा कोई सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी है, गत पांच वर्षों के दौरान दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित अवचार का बारम्बार दोषी पाया गया है, वहां ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात् :–

(क) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए व्यवसायरत लागत लेखापाल के व्यवसाय से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से फर्म को प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करना या रद्द करना और उसके नाम को फर्मों के रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जो वह ठीक समझे, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन ऐसे समय के भीतर, अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहता है या रहती है, वहां परिषद्, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या फर्म का नाम, सदस्यों के रजिस्टर या फर्मों के रजिस्टर से, ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटाएगी ।

(8) अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 21ग का संशोधन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 21ग में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 21घ का प्रतिस्थापन ।

60. मूल अधिनियम की धारा 21घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

संक्रमणकालीन उपबंध ।

"21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 के आरंभ से पूर्व, अनुशासनिक बोर्ड या अनुशासनिक समिति के समक्ष लंबित सभी शिकायतें या कोई जांच या अपील प्राधिकारी अथवा किसी उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल कोई निर्देश या अपील, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसी प्रकार शासित होते रहेंगे, मानो इस अधिनियम का चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधन नहीं किया गया हो ।"।

धारा 22 का प्रतिस्थापन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

परिभाषित वृत्तिक या अन्य अवचार ।

'22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वृत्तिक या अन्य अवचार" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत संस्थान के किसी सदस्य की ओर से, या तो उसकी व्यष्टि हैसियत में या किसी भी अनुसूची में यथा उल्लिखित फर्म के भागीदार या स्वामी के रूप में किया गया कोई कार्य या लोप भी है, किंतु इस धारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 21 की उपधारा (1)

के अधीन निदेशक (अनुशासन) पर ऐसे सदस्य या फर्म के आचरण को किन्हीं परिस्थितियों में जांच करने के लिए प्रदत्त शक्तियों या अधिरोपित कर्तव्य को किसी भी रूप में परिसीमित या न्यूनीकृत करती है ।'।

धारा 22ङ का संशोधन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 22ङ में,–

(i) उपधारा (1) में,–

(क) "संस्थान का कोई सदस्य" शब्दों के पश्चात्, "या कोई फर्म" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "कोई शास्ति उस पर" शब्दों के स्थान पर, "कोई शास्ति ऐसे सदस्य या फर्म पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, ", यथास्थिति, धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) या धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) "उसे आदेश संसूचित किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे सदस्य या फर्म को आदेश संसूचित किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में "धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "यथास्थिति, धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) या धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

'(3) प्राधिकरण के किसी आदेश या कार्य या कार्यवाही को, प्राधिकरण के, गठन में केवल मात्र किसी त्रुटि के, या आकस्मिक रिक्ति या एक अथवा दो सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर, किसी भी रीति में, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,–

(अ) "संस्थान का सदस्य" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था, यद्यपि जांच के समय वह संस्थान का सदस्य नहीं रह गया है ;

(आ) संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत "फर्म" किसी सदस्य के अवचार के लिए दायी भी ठहराई जाएगी, जो अभिकथित अवचार की तारीख को इसका भागीदार या स्वामी था, यद्यपि जांच के समय वह ऐसा भागीदार या स्वामी नहीं रह गया है ।

स्पष्टीकरण 2–इस अध्याय के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई, केंद्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण या विनियामक निकाय को, संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई करने से वर्जित नहीं करेगी ।'।

धारा 24 का संशोधन ।

63. मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे

जाएंगे ;

(ख) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,–

(i) "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

65. मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव और कोई अन्य ऐसा अधिकारी जो जानबुझकर ऐसे उल्लंघन का पक्षकार है, पहले दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो चार लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

66. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में,–

(क) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29ख का संशोधन ।

67. मूल अधिनियम की धारा 29ख के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(घ) संस्थान या फर्मों के सदस्यों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों को, जो उसके द्वारा उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आए हों, उनकी परीक्षा के लिए अनुशासनिक निदेशालय को अग्रेषित करना ।"।

धारा 34 का प्रतिस्थापन ।

68. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

समन्वय समिति ।

"34. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समन्वय समिति समझी जाएगी ।"। 1949 का 38

धारा 38 का संशोधन ।

69. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38क का संशोधन ।

70. मूल अधिनियम की धारा 38क की उपधारा (2) में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(ग) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या शिकायत फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस तथा इसकी उपधारा (2) के अधीन अनुयोज्य या गैर-अनुयोज्य के रूप में शिकायत या सूचना का विनिश्चय करने की रीति और उपधारा (7) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21क की, उपधारा (2) के अधीन अनुशासनिक बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा ;

(घक) धारा 21ख की, उपधारा (2) के अधीन अनुशासनिक समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा ;"।

धारा 39 का संशोधन ।

71. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में,–

(i) खंड (ख), खंड (च) और खंड (झ) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) और खंड (ञ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (त) में, "के सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "के पास रजिस्ट्रीकृत सदस्य और फर्म" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"(ध) वे परिस्थितियां, जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा ;

(धक) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने या उसके लिए इंकार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ;

(धख) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य, कृत्य, उनका वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(धग) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरण और इसकी उपधारा (5) के अधीन वार्षिक लेखा तैयार करने की रीति ;

(धघ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के सदस्यों को रजिस्टर को बनाए रखने की रीति ;

(धङ) धारा 20क के अधीन फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें ;

(धच) धारा 20ख की, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन फर्म के रजिस्टर और अन्य विशिष्टियों, जिसमें फर्म के विरुद्ध लंबित शिकायतों या अनुयोज्य सूचनाओं या किसी शास्ति के अधिरोपण के ब्यौरे भी हैं, के रख-रखाव की रीति, और वह रीति, जिसमें उपधारा (3) के अधीन संस्थान के

पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी ;

(धछ) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन अनुयोज्य सूचना तथा शिकायतों और पारित आदेशों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति ;

(धज) धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति और उसकी उपधारा (8) के अधीन अनुशासनिक समितियों के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के संदेय भत्ते ;

(धझ) धारा 21क की उपधारा (8) के अधीन अनुशासनिक बोर्ड के तथा धारा 21ख की उपधारा (4) के अधीन अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(धञ) धारा 22घ की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ;

(धट) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया जा सकेगा और उसके कृत्य ।"।

प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

72. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक में, "धारा 21(3), धारा 21क(3)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 21(6), धारा 21क(5) और (6), धारा 21ख(5) और (6)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

73. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,–

(i) "धारा 21(3), धारा 21ख(3)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 21(6), धारा 21ख(5) और (6)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) भाग 1 की मद (3) में, "जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह" शब्दों के स्थान पर, "जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह या उसकी फर्म" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

74. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 1980 का 56

(क) उपधारा (1) में,–

(i) खंड (ककक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(कख) "अनुशासनिक बोर्ड" से धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासनिक बोर्ड अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (ख) में "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013 या उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (67) में यथा परिभाषित कोई अन्य पूर्व कंपनी विधि" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

'(घक) "निदेशक (अनुशासन)" से धारा 21 में निर्दिष्ट निदेशक (अनुशासन) अभिप्रेत है और उसमें संयुक्त निदेशक (अनुशासन) भी सम्मिलित है ;

(घख) "अनुशासनिक समिति" से धारा 21ख की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासनिक समिति अभिप्रेत है ;

(घग) "अनुशासनिक निदेशालय" से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुशासनिक निदेशालय अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (छक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

'(छक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और 'अधिसूचित' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;';

(v) खंड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(ञ) "रजिस्टर" से, यथास्थिति, धारा 19 के अधीन बनाए रखा गया संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर या धारा 20ख के अधीन बनाए रखा गया संस्थान की फर्मों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;';

(vi) खंड (ञक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ञकक) "स्थायी समिति" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समिति अभिप्रेत है ;';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (vi) में,–

1947 का 29

(अ) "पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

1969 का 54
1973 का 46
1992 का 15
1999 का 42
2003 का 12

(आ) "एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

75. मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(iii) उपधारा (3) में,–

(क) "जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

76. मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, "जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों लोप

किया जाएगा ;

(iii) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन ।

77. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में,–

(i) "जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

78. मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "अननुमोचित दिवालिया" शब्दों के पश्चात्, "या अननुमोचित शोधन अक्षम" शब्द अत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(गक) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन शोधन अक्षम घोषित किया गया है ;"; 2016 का 31

(iv) खंड (ङ) में संशोधन आवश्यक नहीं है ।

धारा 9 का संशोधन ।

79. मूल अधिनियम की धारा 9 में,–

(i) उपधारा (2) में,–

(क) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थान पर, जहां वह आता है, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "आठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,–

(क) "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर, "संस्थान का सदस्य या फर्म का कोई भागीदार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

80. मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(i) उपधारा (1) में, पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(2क) अध्यक्ष, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2ग) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

81. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

82. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,— धारा 15 का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करना या अस्वीकृत करना ;";

(iii) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे,

(ञक) इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना ;

(ञख) विनिधानकर्त्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ञग) इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के निर्वचन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य देश के किसी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव करना ।"।

83. मूल अधिनियम की धारा 15क में,— धारा 15क का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) फर्मों के रजिस्टर का अनुरक्षण और प्रकाशन ;";

(ii) खंड (ङ) में, "रजिस्टर से नामों को हटाया जाना और रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन" शब्दों के स्थान पर, "सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर से नामों को हटाया जाना और सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यार्वतन" शब्द रखे जाएंगे ;

84. मूल अधिनियम की धारा 16 में,— धारा 16 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) परिषद् अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए—

(क) एक सचिव की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रशासनिक कृत्यों का भी कार्यान्वयन करेगा;

(ख) इस अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के अधीन उन्हें समनुदेशित ऐसे कृत्यों के निष्पादन के लिए संस्थान के एक निदेशक (अनुशासन) और उप सचिव से अन्यून रैंक वाले संयुक्त निदेशकों (अनुशासन) को नियुक्त करेगी;

परन्तु सचिव या निदेशक (अनुशासन) या संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति नहीं की जाएगदी यदि ऐसी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नहीं की जाती है ।";

(ii) उपधारा (2) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, उनके वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी ;"।

धारा 18 का संशोधन ।

85. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनुरक्षित संपरीक्षकों के पैनल से परिषद् द्वारा वार्षिक रूप से नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की फर्म द्वारा संपरीक्षा के अधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई फर्म पात्र नहीं होगी यदि इसका कोई भागीदार पिछले चार वर्षों के दौरान परिषद् का सदस्य हो या रहा हो :

परन्तु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह लाया जाता है कि परिषद् के लेखे इसके वित्त का सत्य और ऋजु दृश्य प्रस्तुत नहीं करते, तो परिषद् स्वयं ही एक विशेष संरीक्षा करवाएगी :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसी सूचना कि परिषद् के लेखे इसके वित्त का सत्य और ऋजु दृश्य प्रस्तुत नहीं करते, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है, तो परिषद्, जहां कहीं उचित हो, विशेष संपरीक्षा करवाएगी या ऐसी अन्य कार्रवाई करेगी जो वह आवश्यक समझे तथा इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।" ।

धारा 19 का संशोधन ।

86. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) परिषद्, संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगी, जो विहित की जाए ।";

(iii) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) क्या अध्याय 5 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई योग्य सूचना या परिवाद लंबित है या कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसके अंतर्गत उसके ब्यौरे भी हैं, यदि कोई हों ;";

(iv) उपधारा (4) में,—

(क) "जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी", शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

87. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) जो "दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगा", शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 4क का अंत:स्थापन ।

88. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अध्याय 4क

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण ।

20क. प्रत्येक फर्म, फर्म के किसी भागीदार या स्वामी द्वारा ऐसी रीति में, और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, परिषद् को किए गए आवेदन पर संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत करेगी :

परन्तु परिषद् किसी फर्म को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगी यदि ऐसी फर्म का नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य फर्म के नाम जैसा ही या समान है या भारत के भीतर या बाहर किसी फर्म द्वारा नाम उपयोग में है अथवा परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है ।

फर्मों का रजिस्टर ।

20ख (1) परिषद्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, फर्मों का रजिस्टर रखेगी ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में फर्म के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जिसके अन्तर्गत अध्याय 5 के अधीन कार्रवाई योग्य सूचना या परिवाद या इसके विरुद्ध किसी शास्ति के अधिरोपण के ब्यौरे भी हैं, ऐसे प्ररुप में और ऐसे अंतरालों पर होंगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) परिषद्, प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को या ऐसे अंतरालों पर जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं, संस्थान में रजिस्ट्रीकृत फर्मों की एक सूची, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकाशित करवाएगी, और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के संदाय पर जो विहित की जाए ऐसे व्यक्तियों को सूची उपलब्ध करवाएगी ।

फर्मों के रजिस्टर से निकाला जाना ।

20ग. परिषद्, फर्मों के रजिस्टर से किसी फर्म का नाम निकालेगी,—

(क) जिसका विघटन या परिसमापन हो गया है ; या

(ख) जिससे उस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ग) जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन दिवालिया और शोधन अक्षम घोषित किया गया है तथा जो अननुमोचित रहती है ; या

(घ) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यवसायरत कंपनी सचिव की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से रोक दिया गया है; या

(ङ) जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन निकाले जाने के लिए आदेश पारित किया गया है,

निकाल सकेगी ।

परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन ।

20घ. (1) रजिस्ट्रीकरण को अस्वीकृत करने के विनिश्चय से व्यथित कोई फर्म, ऐसे अस्वीकार करने की तारीख से एक मास के भीतर परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(2) परिषद्, पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकार किए गए विनिश्चय को संपुष्ट या अपास्त कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे ।"।

धारा 21 का प्रतिस्थापन ।

89. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुशासनात्मक निदेशालय ।

"21. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, स्वप्रेरणा से या ऐसे प्ररूप में ऐसे फीस के साथ जो विहित की जाए, किसी सूचना या सिकायत की प्राप्ति पर अन्वेषण करने के लिए संस्थान के निदेशक (अनुशासन), कम से कम दो संयुक्त निदेशकों (अनुशासन) जो संस्थान के उप सचिव के पंक्ति के नीचे के न हों और धारा 16 के अधीन नियुक्त ऐसे अन्य कर्मचारियों से मिलकर बने अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना करेगी ।

(2) ऐसे प्ररुप में और ऐसी फीस के साथ, किसी सूचना या परिवाद की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, निदेशक (अनुशासन) चाहे परिवाद या सूचना अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य के रूप में बन्द किए जाने के लिए दायी है, ऐसी रीति में विनिश्चय करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, परिवादकर्ता या सूचनाकर्ता से विनिश्चय करने के पूर्व पंद्रह दिन का समय देकर कि क्या मामला कार्रवाई योग्य है या अकार्रवाई योग्य, अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु यह और कि अकार्रवाई योग्य परिवाद या सूचना पर निदेशक (अनुशासन) की सिफारिशें इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अनुशासन बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और अनुशासन बोर्ड इसके गुणागुण को देखने के पश्चात् ऐसे परिवाद या सूचना को और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट करेगा ।

(3) किसी मामले में अन्वेषण करते समय, जो कार्रवाई योग्य पाया जाता है, निदेशक (अनुशासन) यथास्थिति, सदस्य या फर्म को इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, उसके लिए कारण लेखबद्ध करते हुए अतिरिक्त इक्कीस दिन के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, निदेशक (अनुशासन) उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता को भेजेगा तथा, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता ऐसे लिखित कथन की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन तथा उपधारा (4) के अधीन प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर निदेशक (अनुशासन), यदि यथास्थिति, किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो तीस दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी व्यवसायिक या अन्य अवचार का यदि प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो निदेशक (अनुशासन), निदेशक बोर्ड को एक आरंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा जहां दूसरी अनुसूची में या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में, उल्लिखित व्यवसायिक या अन्य अवचार का प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक समिति को प्रस्तुत करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा समर्थनकारी साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट का सुसंगत सार द्वारा समर्थित किसी शिकायत या सूचना को फाइल किए जाने पर उसे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट समझा जाएगा :

परंतु यह और कि, जहां सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता, निदेशक (अनुशासन) सुसंगत दस्तावेजों के साथ ऐसी सूचना या परिवाद को अनुशासन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और अनुशासन बोर्ड, यदि वह निदेशक (अनुशासन) के निष्कर्षों से सहमत है, मामले को बन्द कर देगा या असहमति की स्थिति में, स्वयं और कार्यवाही करेगा या मामले को अनुशासन समिति को निर्दिष्ट करेगा अथवा निदेशक (अनुशासन) को मामले का और अन्वेषण करने की सलाह देगा ।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषणों के प्रयोजनों के लिए, अनुशासनात्मक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) अनुशासनात्मक निदेशालय के समक्ष फाइल किया गया परिवाद किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं लिया जाएगा ।

(9) अनुशासनात्मक निदेशालय, अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समितियों के साथ लंबित कार्रवाई योग्य सूचना और परिवादों की प्रास्थिति तथा धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा तथा धारा 21ख के अधीन अनुशासन समितियों द्वारा पारित आदेश, ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुशासनात्मक निदेशालय द्वारा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाए जाएंगे ।"।

धारा 21क का प्रतिस्थापन ।

90. मूल अधिनियम की धारा 21क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुशासन बोर्ड ।

"21क. (1) परिषद् अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले एक या अधिक अनुशासन बोर्डों का गठन करेगी–

(क) कोई व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य नहीं हो, जिसके पास विधि का अनुभव हो तथा अनुशासनात्मक मामलों का और वृति का ज्ञान हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) एक सदस्य जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो, और संस्थान का सदस्य न हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) एक सदस्य जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए सदस्यों के पैनल से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) उप सचिव से अन्यून पंक्ति का, संस्थानका एक अधिकारी अनुशासन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परन्तु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी तथा खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित प्रत्येक अनुशासन बोर्ड के

लिए समान होगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए जिसके अन्तर्गत चेहराविहीन कार्यवाहियां तथा आभासी सुनवाईयां भी हैं ।

(3) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है, इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और इक्कीस दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासन बोर्ड यह पाता है कि ऐसा सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित व्यवसायिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को ऐसे निष्कर्ष से तीस दिन के भीतर सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाईयों में से कोई एक या अधिक किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्यों को धिग्दंडित और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने का ;

(ख) सदस्य के नाम को सदस्यों के रजिस्टर से छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने का ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने का, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, का ।

(6) जहां अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर या किसी सदस्य से संबंधित जांच के अनुक्रम के दौरान, अनुशासन बोर्ड यह राय बनाता है कि ऐसा कोई सदस्य, जो किसी फर्म का भागीदार या स्वामी है, पिछले पांच वर्ष के दौरान पहली अनुसूची के अधीन कदाचरण का लगातार दोषी पाया गया है तो ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए व्यवसायरत किसी कम्पनी सेक्रेटरी की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से फर्म को प्रतिषिद्ध करना, या

(ख) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित जुर्माने को ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करने में असफल रहता है तो परिषद् ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्मों के रजिस्टर से ऐसे सदस्य या फर्म का नाम हटा देगी ।

(8) पीठासीन अधिकारी और अनुशासन बोर्ड के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 21ख का संशोधन ।

91. मूल अधिनियम की धारा 21ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"21ख. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— अनुशासनिक समिति ।

(क) कोई व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य नहीं हो, जिसके पास विधि का अनुभव हो तथा अनुशासनात्मक मामलों का और वृत्ति का ज्ञान हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) दो सदस्य जो अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हों, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) दो सदस्य जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए सदस्यों के पैनल से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी तथा खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित प्रत्येक अनुशासन समिति के लिए समान होंगे ।

(2) अनुशासन समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए, जिसके अन्तर्गत चेहराविहीन कार्यवाहियां तथा आभासी सुनवाईयां भी है ।"।

(3). अनुशासन समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है, इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और इक्कीस दिन के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासन समिति निदेशक (अनुशासन) से प्रारम्भिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर अपनी जांच पूर्ण करेगी ।

(5) जांच करने पर, यदि अनुशासन समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों में उल्लिखित वृत्तिक या अन्य कदाचरण का दोषी है, तो वह निम्नलिखित एक या अधिक कार्रवाईयां करते हुए, सदस्य को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्, ऐसे निष्कर्ष तीस दिन के भीतर एक आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दंड देगी और इसे सदस्यों के रजिस्टर में अभिलिखित करेगी ; या

(ख) सदस्य के नाम को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, रजिस्टर से हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो वह ठीक समझे, जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अनुशासन समिति, अभिलेख पर लाए गए या संस्थान के सदस्य से संबंधित जांच के क्रम के दौरान, साक्ष्य के आधार पर यह राय बनाती है कि कोई सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी हैं, पिछले पांच वर्ष के दौरान दूसरी

अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों में उल्लिखित अवचार का बारम्बार दोषी पाया गया है, तो ऐसी फर्म के विरूद्ध निम्नलिखित कार्रवाईयां भी की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) फर्म को दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करना और इसका नाम फर्म के रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जैसा वह उचित समझे, जो पचास लाख रूपए तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, अधिरोपित किए गए जुर्माने का संदाय करने में विफल रहता है तो परिषद् ऐसे सदस्य या फर्म का नाम ऐसी अवधि या ऐसी और अवधि, जो वह उचित समझे, के लिए, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्म का रजिस्टर से हटा देगी ।

(8) पीठासीन अधिकारी तथा अनुशासन समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।"।

धारा 21ग का संशोधन ।

92. मूल अधिनियम की धारा 21ग में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 21घ का प्रतिस्थापन ।

93. मूल अधिनियम की धारा 21घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

संक्रमणकालीन उपबंध ।

"21घ. चार्टर्ड अकाउंटेट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारम्भ के पूर्व अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष लम्बित सभी शिकायतें या कोई जांच अथवा अपील प्राधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई निदेश या फाइल की गई अपील, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित किए जाते रहेगें, मानो यह अधिनियम चार्टर्ड अकाउंटेट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित नहीं किया गया हो ।"।

धारा 22 का प्रतिस्थापन ।

94. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

परिभाषित किया गया वृतिक या अन्य कदाचरण ।

"22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वृतिक या अन्य कदाचरण" पद के अन्तर्गत संस्थान के किसी सदस्य की ओर से या तो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में या किन्हीं अनुसूचियों में यथाउल्लिखित फर्म के भागीदार या स्वामी के रूप में कोई कृत्य या लोप समझा जाएगा, किन्तु इस धारा की किसी बात का अर्थान्वयन किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन ऐसे सदस्य या फर्म के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त कोई शक्ति या अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या न्यून करने वाला नहीं होगा ।"।

95. मूल अधिनियम की धारा 22ङ में,— धारा 22ङ. का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "संस्थान का कोई सदस्य" शब्दों के पश्चात्, "या कोई फर्म" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "कोई शास्ति उस पर" शब्दों के स्थान पर, "कोई शास्ति ऐसे सदस्य या फर्म पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) "धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, ",यथास्थिति, धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) तथा धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) "उसे संसूचित" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे सदस्य या फर्म को संसूचित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) तथा धारा 21ख की उपधारा (3क) या उपधारा (3ख)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् :—

"(3) प्राधिकरण के किसी आदेश या कार्य या कार्यवाही को प्राधिकरण के गठन में केवल मात्र किसी त्रुटि या आकस्मिक रिक्ति या एक या दो सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर किसी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "संस्थान का सदस्य" के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जो अभिकथित कदाचरण की तारीख को संस्थान का सदस्य था, यद्यपि वह जांच के समय संस्थान का सदस्य नहीं था;

(आ) संस्थान में रजिस्ट्रीकृत "फर्म" भी किसी सदस्य के कदाचरण के लिए दायी ठहरायी जाएगी जो अभिकथित कदाचरण की तारीख को इसका भागीदार या स्वामी था, यद्यपि वह जांच के समय ऐसा भागीदार या स्वामी नहीं था ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई किसी केन्द्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकारी अथवा विनियामक निकाय को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संस्थान में रजिस्ट्रीकृत किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी ।"।

96. मूल अधिनियम की धारा 24 में,— धारा 24 का संशोधन ।

(क) "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे

जाएंगे ;

धारा 25 का संशोधन ।

97. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,—

(i) "जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

98. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,—

"(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली कोई कम्पनी पहले उल्लंघन पर जुर्माने से दंडनीय होगी जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा, तथा किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन पर जुर्माने से दंडनीय होगी जो चार लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस लाख रुपए तक हो सकेगा ।"

धारा 27 का संशोधन ।

99. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में,—

(क) "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29ख का संशोधन ।

100. मूल अधिनियम की धारा 29ख में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) संस्थान या फर्मों के सदस्यों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों, जो उसके द्वारा उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आए हों, को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनकी परीक्षा के लिए अनुशासन महानिदेशालय को अग्रेषित करना ।"।

धारा 34 का संशोधन ।

101. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

समन्वय समिति।

"34. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समन्वय समिति समझी जाएगी ।"। 1949 का 38

धारा 38 का संशोधन ।

102. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38क का संशोधन ।

103. मूल अधिनियम की धारा 38क की उपधारा (2) में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) धारा 21 की उपधारा (7) के अधीन किसी सूचना या परिवाद का प्ररूप, रीति तथा फाइल करने के लिए फीस और अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया, उपधारा (7) के अधीन शास्ति के संदाय की समयसीमा ;

(घक) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया, उपधारा (3ग) के अधीन शास्ति के संदाय की समयसीमा ;"।

धारा 39 का संशोधन ।

104. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में,—

(i) "रजिस्टर", शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चक) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन वे परिस्थितियां जिनके अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किए जा सकेंगे ;

(चख) धारा 12 की उपधारा (2ख) के अधीन परिषद् के सभापति और उपसभापति की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;";

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जक) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त या अस्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ;";'

(iv) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(टक) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;";

(v) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(डक) धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन परिषद् के वार्षिक लेखों को तैयार करने की रीति ;";

(vi) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(त) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिसमें संस्थान में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी ;

(तक) धारा 20क के अधीन किसी फर्म को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें ;

(तख) फर्मों के रजिस्टर और अन्य विशिष्टियां अनुरक्षित करने की रीति जिसके अन्तर्गत धारा 20ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई योग्य सूचना या परिवाद या किसी फर्म के विरुद्ध अधिरोपित किसी शास्ति के अधिरोपण के ब्यौरे, और वह रीति जिसमें उपधारा (3) के अधीन संस्थान में रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी ;

(तग) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन कार्रवाई योग्य सूचना तथा परिवादों की प्रास्थिति और पारित आदेश उपलब्ध करवाने की रीति ;

(तघ) धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) तथा धारा 21ख की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति ;

(तङ) धारा 21क की उपधारा (8) के अधीन अनुशासन बोर्ड के तथा धारा 21ख की उपधारा (4) के अधीन अनुशासन समितियों के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों को संदेय भत्ते ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

105. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष में, "धारा 21(3), धारा 21क(3)", शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 21(6), धारा 21क(5) और (6), धारा 21ख (3क) और (3ख)", शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

106. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) "धारा 21(3), धारा 21क(3)", शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 21(6), धारा 21ख (3क) और (3ख)", शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) भाग 1 के मद (3) में, "यह विश्वास हो जाए कि वह" शब्दों के स्थान पर, "यह विश्वास हो जाए कि वह या उसकी फर्म" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) को क्रमश: चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव के व्यवसाय के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । देश के आर्थिक और निगम वातावरण में परिवर्तनों के कारण अधिनियमों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है । इसके अतिरिक्त, हाल ही की निगम घटनाओं ने चार्टर्ड लेखांकन के व्यवसाय को काफी संवीक्षा के अधीन ला दिया है ।

2. अधिनियमों के संशोधन, अन्य बातों के साथ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमों के विद्यमान उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों की जांच करने, तीन व्यवसायिक संस्थानों, अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत लेखापाल संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में कदाचार के मामलों से निपटने के लिए और विद्यमान तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से तथा अनुशासनिक मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने पर आधारित हैं ।

3. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव (संशोधन(विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम अधिनियम, 1980 को संशोधित करने के लिए है,--

(i) अनुशासनिक निदेशालय की शिकायतों और सूचना से व्यौहार करने की क्षमता को बढ़ाकर अनुशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करके और संस्थानों के सदस्यों के विरुद्ध मामलों के त्वरित निपटान के लिए समय-सीमाएं विनिर्दिष्ट करके मामलों के समयबद्ध निपटान का उपबंध करने के लिए है ;

(ii) संस्थान के प्रशासनिक और अनुशासनिक भागों के बीच हित के द्वंद्ध को संबोधित करने के लिए है ;

(iii) संबंधित संस्थानों के पास फर्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् अध्याय का उपबंध करने और अनुशासनिक तंत्र की परिधि के अधीन फर्मों को शामिल करने के लिए है ;

(iv) भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा रखे गए लेखापरीक्षकों के पैनल में से परिषद् द्वारा वार्षिक रूप से नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फर्म द्वारा संस्थानों के लेखाओं की संपरीक्षा का उपबंध करके जवाबेदही और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए है ;

(v) विभिन्न फीसों को नियत करने के लिए संबंधित संस्थानों की परिषद् को स्वायत्ता का उपबंध करने के लिए है ।

4. विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 दिसंबर, 2021

निर्मला सीतारमण

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2 चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम,1949 (1949 का 38) के दीर्घ शीर्षक और उद्देशिका का, जिसके अंतर्गत इसमें "विकास" शब्द भी है में संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3 अधिनियम की धारा 2 में अंत:स्थापित कतिपय परिभाषाओं में संशोधन करने के लिए है जैसे अनुशासन बोर्ड, समन्वय समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन समिति, अनुशासन निदेशालय, अध्येता और स्थायी समिति और कंपनी अधिनियम, परिषद्, अधिसूचना और रजिस्टर की परिभाषाओं के उपांतरण है ।

विधेयक का खंड 4 अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर""शब्द" के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्दों को रखा जाना और भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के संस्थान की परिषद् को सदस्यों के रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि के लिए अपेक्षित फीस का विनिश्चय किया जा सके और ऐसी फीस के अवधारण के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 5 अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाने और अध्येता के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि के लिए अपेक्षित फीस का विनिश्चय किया जा सके और ऐसी फीस के अवधारण के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 6 अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करने के लिए है जिसमें परिषद को व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फीस का विनिश्चय किया जा सके और ऐसी फीस के अवधारण के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।;

विधेयक का खंड 7 अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखा जाना और शोधन अक्षमता को सदस्यों के लिए निरर्हता के रूप में सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 8 अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखा जाना है और परिषद का निर्वाचन लड़ने से किसी सदस्य की निरर्हता की अवधि को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का खंड 9, एक नई धारा 9क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे, लागत लेखाकारों तथा कंपनी सचिवों की वृत्ति के विकास और सुमेलीकरण के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में से प्रत्येक संस्थान की परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से मिलकर बनने वाली समन्वय समिति के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 10 अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने के लिए है जिसमें परिषद् के सदस्यों की तीन लगातार अवधियों को कम करके दो तक किया जा सके।

विधेयक का खंड 11 अधिनियम की धारा 12 में संशोधन करने के लिए है जो संस्थान के अध्यक्ष को संस्थान के प्रमुख के रूप में पदाभिहित करने को और संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 12 अधिनियम की धारा 13 में "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 13 अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करने के लिए है जो परिषद् के कार्यकाल को तीन वर्ष से चार वर्ष तक बढ़ाता है ।

विधेयक का खंड 14 अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करने के लिए है जो परिषद् के कतिपय अतिरिक्त कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 15 पुरःस्थापित नई धारा 15ख संस्थान के कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 16 अधिनियम की धारा 16 में संशेधन करने के लिए है जिसमें सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में और निदेशक तथा संस्थान के संयुक्त निदेशक (अनुशासन) को नियुक्त करेगी । यह परिषद् को सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों, उनके वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों के विनियमों को बनाने को सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 17 अधिनियम की धारा 18 में संशोधन करने के लिए है जिसमें परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा रखे गए लेखापरीक्षकों के पैनल से नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटों की फर्म द्वारा परिषद् के वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा करता है ।

विधेयक का खंड 18 अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे और विनियमों के अनुसार संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर का अनुरक्षण करने, परिषद् के सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के विनिश्चय किया जा सके और ऐसी फीस के अवधारण के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 19 अधिनियम की धारा 20 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे और परिषद् के सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए फीस का विनिश्चय किया जा सके और र ऐसी फीस के अवधारण के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त से अभिमुक्ति किया जा सके ।

विधेयक का खंड 20 अंतःस्थापित नया अध्याय 4क फर्म के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर के लिए और फर्म के रजिस्टर से नाम हटाने के लिए और परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 21 अधिनियम की धारा 21 का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जिससे निदेशक (अनुशासन) के साथ कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन)

सम्मिलित करके अनुशासनिक निदेशालय की संरचना को उपांतरित किया जा सके, नियत समय-सीमा के भीतर शिकायतों या सूचना को अनुयोज्य और गैर अनुयोज्य में वर्गीकृत करके अन्वेषण को सरल बनाया जा सके तथा प्रथमदृष्टया राय रिपोर्ट को आरंभिक समीक्षा रिपोर्ट से प्रतिस्थापित किया जा सके, शिकायतों की वापसी को प्रतिषिद्ध किया जा सके और अनुशासनिक निदेशालय द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 22 अधिनियम की धारा 21क का प्रतिस्थापन करने के लिए है केन्द्रीय सरकार एक या अधिक अनुशासनिक बोर्डों की स्थापना करेगी, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और दो सदस्य, जिनमें एक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा और एक सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । इसके अतिरिक्त अनुशासनिक बोर्ड द्वारा जांच पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करता है । केन्द्रीय सरकार अनुशासनिक बोर्ड द्वारा अनुपालित प्रक्रिया के लिए नियम बनाने को सशक्त है । संस्थान के सदस्यों द्वारा अवचार के लिए उपबंधित शास्तियों का उपांतरण,चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का अनुशानिक तंत्र के कार्यक्षेत्र के अधीन होने के लिए उपबंध करता है और परिषद् विधेयक के अधीन अधिरोपित जुर्माने के संदाय में असफलता पर रजिस्टर से नाम हटाने को सशक्त है ।

विधेयक का खंड 23 अधिनियम की धारा 21ख के प्रतिस्थापन करने के लिए है केन्द्रीय सरकार एक या अधिक अनुशासनिक समितियों की स्थापना करती है, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और चार सदस्य जिसके दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट और दो सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त अनुशासनिक बोर्ड द्वारा जांच के पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करता है, केन्द्रीय सरकार अनुशासनिक बोर्ड द्वारा अनुपालित प्रक्रिया के लिए नियम बनाने को सषक्त है, संस्थान के सदस्यों द्वारा अवचार के लिए शास्ति उपबंधों का उपातंरण, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म का अनुशासनिक तंत्र के कार्यक्षेत्र के अधीन होने के लिए उपबंध करता है और परिषद् विधेयक के अधीन अधिरोपित जुर्माने के संदाय में असफलता पर रजिस्टर से नाम हटाने को सशक्त है ।

विधेयक का खंड 24 अधिनियम की धारा 21ग में संशोधन करने के लिए है जो संस्थान के सदस्य के स्पष्टीकरण का लोप करता है ।

विधेयक का खंड 25 अधिनियम की धारा 21घ के प्रतिस्थापव करने के लिए है जो प्रस्तावित संशोधन के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि वृत्तिक या अन्य अवचार की परिभाषा को उपांतरित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 27 अधिनियम की धारा 22छ का संशोधन करने के लिएहै जो अनुशासनिक तंत्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म के सम्मिलत होने के लिए पारिणामिक संशोधनों को करने, अनुशासनिक कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए सदस्य और फर्म को परिभाषित और संस्थान किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सदस्यों और फर्मों के विरुद्ध कार्रवाइयों के विस्तार के लिए है ।

विधेयक का खंड 28 अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है जिसमें संस्थान का सदस्य, इत्यादि होने का झूठा दावा करने पर शास्तियों में वृद्धि किए जाना है ।

विधेयक का खंड 29 अधिनियम की धारा 24क में संशोधन करने के लिए है जिसमें परिषद् के नाम का उपयोग, चार्टर्ड अकांटेंसी की डिग्री देने इत्यादि पर शास्तियों में वृद्धि किए जाना है ।

विधेयक का खंड 30 अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने के लिए है जिसमें कंपनियों का अकांटेंसी में न लगने पर प्रतिषेध करने के लिए शास्तियों में वृद्धि किया जाना है ।

विधेयक का खंड 31 अधिनियम की धारा 26 में संशोधन करने के लिए है जिसमें अनर्हित व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किए जाने परशास्तियों में वृद्धि किया जाना है ।

विधेयक का खंड 32 अधिनियम की धारा 28ख में संशोधन करने के लिए है जिसमें क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड हेतु अतिरिक्त कृत्यों के लिए उपबंध है ।

विधेयक का खंड 33 अधिनियम की धारा 29 "रजिस्टर" शब्द के स्थआन पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाने का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 34 अधिनियम की धारा 29क केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 35 अधिनियम की धारा 30 संस्थान के परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 36 अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 37 अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 38 लागत और संकर्म अधिनियम, 1959 (अधिनियम) में संशोधन करने के लिए है जिसमें दीर्घ शीर्षक और उद्देशिका का जिसके अंतर्गत इसमें "विकास" शब्द भी आता है और इससे "संकर्म" शब्द का लोप करना भी है ।

विधेयक का खंड 39 अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करने के लिए है जो अधिनियम के नाम को दीर्घ शीर्षक के साथ संरेखण करता है ।

विधेयक का खंड 40 अधिनियम की धारा 2 की कतिपय परिभाषाओं के अंतःस्थापन के लिए है जैसा कि अनुशासिक बोर्ड, कंपनी अधिनियम, निदेशक (अनुशासन), अनुशासनिक समिति, अनुशासनिक निदेशालय, स्थायी समिति और अध्येता, अधिसूचना और रजिस्टर की परिभाषाओं के उपांतरण है ।

विधेयक का खंड 41 अध्याय 2 के शीर्षक का संशोधन करने के लिए है जो लागत और संकर्म लेखापालों का संस्थान से लागत लेखापालों का संस्थान नाम करता है ।

विधेयक का खंड 42 अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करने के लिए है जिसमें "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखा जाना और भारतीय लागत लेखापाल संस्थान (संस्थान) सदस्यों के रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए विनिश्चय

करने के लिए परिषद् को सशक्त किया जा सके और ऐसी फीस का अवधारण करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 43 अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "रजिस्टर" शब्द को "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके, सदस्यों के रजिस्टर में अध्येता के रूप में नामों की प्रविष्टि के लिए अपेक्षित फीस का विनिश्चय करने के लिए परिषद् को सशक्त किया जा सके और ऐसी फीस का अवधारण करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 44 अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जिससे व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए फीस का विनिश्चय करने हेतु परिषद् को सशक्त किया जा सके और ऐसी फीस का अवधारण करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 45 अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "रजिस्टर" शब्द को "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके, शोधन अक्षमता को सदस्य की निरर्हता के रूप में सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 46 अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "रजिस्टर" शब्द को "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके और परिषद् का निर्वाचन लड़ने से किसी सदस्य की निरर्हता की अवधि को बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का खंड 47 अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है, जिससे संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 48 अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "रजिस्टर" शब्द को "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 49 अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है, जिससे परिषद् के कतिपय अतिरिक्त कृत्यों के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 50 अधिनियम की धारा 15क का संशोधन करने के लिए है, जिससे संस्थान के कतिपय अतिरिक्त कृत्यों के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 51 अधिनियम की धारा 16 का, यह उपबंध करने के लिए कि सचिव, संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और निदेशक (अनुशासन) तथा संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की नियुक्ति का उपबंध करने हेतु, संशोधन करने के लिए है । यह परिषद को, सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों को, उनके वेतन, फीस, भत्तें और सेवा की अन्य निबंधनें और शर्तें के लिए विनियम बनाने के लिए और सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 52 अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है, जिससे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संपरीक्षकों के पैनल में से परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकांउटेंट की फर्म द्वारा परिषद् के वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 53 अधिनियम की धारा 19 का संशोधन करने के लिए है, जिससे

"रजिस्टर" शब्द को "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके, विनियमों के अनुसार संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखा जा सके, सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का अवधारण करने हेतु परिषद् को सशक्त किया जा सके और ऐसी फीस का अवधारण करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 54 अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "रजिस्टर" शब्द को "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके, सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए फीस का अवधारण करने हेतु परिषद् को सशक्त किया जा सके और ऐसी फीस का अवधारण करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त से अभिमुक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 55 एक नया अध्याय 4क पुरःस्थापित करने के लिए है, जिससे फर्मों के रजिस्ट्रकरण और उनके रजिस्टर के लिए तथा फर्म के रजिस्टर से नामों को हटाने के लिए और परिषद् के समक्ष उनके पुनर्विलोकन के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 56 अधिनियम की धारा 21 का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जिससे निदेशक (अनुशासन) के साथ कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन) सम्मिलित करके अनुशासनिक निदेशालय की संरचना को उपांतरित किया जा सके, नियत समय-सीमा के भीतर शिकायतों या सूचना को अनुयोज्य और गैर अनुयोज्य में वर्गीकृत करके अन्वेषण को सरल बनाया जा सके तथा प्रथमदृष्टया राय रिपोर्ट को आरंभिक समीक्षा रिपोर्ट से प्रतिस्थापित किया जा सके, शिकायतों की वापसी को प्रतिषिद्ध किया जा सके और अनुशासनिक निदेशालय द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 57 अधिनियम की धारा 21क का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, एक या अधिक अनुशासन बोर्डों, जिनमें प्रत्येक बोर्ड केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और दो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से एक सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और एक सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, की स्थापना करने के लिए सशक्त किया जा सके । खंड, केंद्रीय सरकार को, अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरा करने के लिए समयसीमा नियत करने के लिए अनुशासन बोर्ड द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने हेतु, संस्थान के सदस्यों द्वारा अवचार के लिए शास्ति उपबंधों को उपांतरित करने के लिए, अनुशासनिक तंत्र के कार्यक्षेत्र के अधीन लागत लेखाकारों की फर्मों के समावेशन के लिए उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके और इस विधेयक के अधीन अधिरोपित शास्तियों के गैर-संदाय पर रजिस्टर से नामों को हटाए जाने के लिए परिषद् को सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 58 अधिनियम की धारा 21ख का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, एक या अधिक अनुशासन समितियों, जिनमें प्रत्येक समिति केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और चार ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से दो सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और दो सदस्य

परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, की स्थापना करने के लिए सशक्त किया जा सके । खंड, केंद्रीय सरकार को, अनुशासन समितियों द्वारा जांच पूरा करने के लिए समयसीमा नियत करने के लिए अनुशासन समितियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने हेतु, संस्थान के सदस्यों द्वारा अवचार के लिए शास्ति उपबंधों को उपांतरित करने के लिए, अनुशासनिक तंत्र के कार्यक्षेत्र के अधीन लागत लेखाकारों की फर्मों के समावेशन के लिए उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके । खंड, विधेयक के अधीन अधिरोपित शास्तियों के गैर-संदाय पर रजिस्टर से नामों को हटाए जाने के लिए परिषद् को सशक्त करने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 59 अधिनियम की धारा 21ग में संशोधन करने के लिए है जो संस्थान के सदस्यों वाले स्पष्टीकरण का लोप करता है ।

विधेयक का खंड 60 अधिनियम की धारा 21घ में संशोधन करने के लिए है जो प्रस्तावित संशोधन के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 61 अधिनियम की धारा 22 के प्रतिस्थापन कि लिए है जो परिभाषित वृत्तिक या अन्य अवचार का उपांतरण करता है ।

विधेयक का खंड 62 अधिनियम की धारा 22ङ में संशोधन करने के लिए है जो अनुशासनिक तंत्र के क्षेत्राधीन लागत लेखापाल की फर्म के सम्मिलित करने के लिए पारिणामिक संशोधन करना और अनुशासनिक कृत्यों के प्रयोजन के लिए सदस्यों और फर्म परिभाषित करना और किसी अन्य विधि के अधीन संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत सदस्यों या फर्मों के विरुद्ध कार्रवाइयों के क्षेत्र के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 63 अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करने के लिए है जिसमें संस्थान के सदस्य, इत्यादि होने का झूठा दावा करने के लिए शास्तियों की वृद्धि किया जाना है ।

विधेयक का खंड 64 अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने के लिए है जिसमें परिषद् के नाम का प्रयोग करने और लागत लेखाकर्म में डिग्री देने इत्यादि के लिए शास्तियों की वृद्धि किया जाना है ।

विधेयक का खंड 65 अधिनियम की धारा 26 में संशोधन करने के लिए है जिसमें लागत लेखापाल में सम्मिलित न की जाने वाली कंपनियों के लिए शास्तियों की वृद्धि किया जाना है ।

विधेयक का खंड 66 अधिनियम की धारा 27 में संशोधन करने के लिए है जिसमें अनर्हित व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किए जाने पर शास्तियों की वृद्धि किया जाना है ।

विधेयक का खंड 67 अधिनियम की धारा 29ख में संशोधन करने के लिए है जो क्वालिटी बोर्ड की स्थापना के लिए अतिरिक्त कृत्यों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 68 अधिनियम की धारा 34 के प्रतिस्थापन के लिए है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समन्वय समिति समझी जाएगी का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 69 अधिनियम की धारा 38 में "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखे जाने का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 70 अधिनियम की धारा 38क केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 71 अधिनियम की धारा 39 में परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 72 अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 73 अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करता है ।

विधेयक का खंड 74 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (अधिनियम) की धारा 2 में कतिपय परिभाषाओं जैसे अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन), अनुशासनिक समिति, अनुशासनिक निदेशालय और स्थायी समिति अंतःस्थापित करने के लिए संशोधित करता है और कंपनी अधिनियम, अधिसूचना और रजिस्टर की परिभाषाओं को उपान्तरित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 75 अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करके "रजिस्टर" के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" रखना चाहता है और परिषद को सदस्यों का रजिस्टर में नाम प्रविष्ट कराने के लिए आवश्यक शुल्क निर्धारित करने के लिए भारत के कंपनी सचिव के संस्थान के परिषद् को सशक्त करना चाहता है और ऐसे शुल्क निर्धारण को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिमुक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 76 अधिनियम की धारा 5 को संशोधित करके "रजिस्टर" के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखने के लिए फेलो के रुप में सदस्यों के रजिस्टर में नामों को प्रविष्ट कराने के लिए आवश्यक फीस निर्धारित करने के लिए परिषद को सशक्त करती है और ऐसे शुल्क निर्धारण को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिमुक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 77 अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करके व्यवसाय प्रमाणपत्र को मंजूर करने के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए परिषद को सशक्त करता है और ऐसे शुल्क निर्धारण को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिमुक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 78 अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करके "रजिस्टर" के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" रखने और सदस्यों की निरर्हता के लिए दिवाला को शामिल करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 79 अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करके "रजिस्टर" के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" रखने और परिषद का चुनाव लड़ने से सदस्यों के अनर्हता समय को करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 80 अधिनियम की धारा 12 को संशोधित करके संस्थान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 81 अधिनियम की धारा 13 में संशोधन करके "रजिस्टर" के

स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" रखने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 82 अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करके परिषद के कतिपय अतिरिक्त कार्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 83 अधिनियम की धारा 15क में संशोधन करके संस्थान के कतिपय अतिरिक्त कार्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 84 अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करता है कि सचिव मुख्य कार्यापालक होगा और संस्थान के निदेशक (अनुशासन) और संयुक्त निदेशक (अनुशासन) को नियुक्ति करेगा । यह आगे परिषद को नियुक्ति की रीति के लिए विनियमों को बनाने, शक्तियां कर्तव्यों और सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों और उनके वेतन, शुल्कों, भते और सेवा के निबंधन और शर्तों के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 85 अधिनियम की धारा 18 में संशोधन करके चारटर्ड एकाउन्ट्स की फर्म द्वारा परिषद के वार्षिक खाते की लेखा परीक्षा करना चाहता है, जिसे परिषद द्वारा भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बनाए गए लेखा परीक्षकों के पैनल से नियुक्त किया जाता है ।

विधेयक का खंड 86 अधिनियम की धारा 19 में संशोधन करता है कि "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखा जाएगा, विनियम के अनुसार संस्थान के रजिस्टर का अनुरक्षण करने, सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए परिषद को सशक्त करना और ऐसे शुल्क निर्धारण को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिमुक्ति प्रदान करना चाहता है ।

विधेयक का खंड 87 अधिनियम की धारा 20 को संशोधित करता है कि "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्द रखा जाएगा, विनियम के अनुसार संस्थान के रजिस्टर का अनुरक्षण करने, सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए परिषद को सशक्त करना और ऐसे शुल्क निर्धारण को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को अभिमुक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 88 नया अध्याय 4क, रजिस्ट्रीकरण और फर्ण के रजिस्टर से नाम हटाने के लिए और परिषद् के समक्ष पुर्विलोकन के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 89 अधिनियम की धारा 21 जिसमें, निदेशक (अनुशासन) के साथ कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन) को शामिह करके अनुशासनिक निदेशालय की संरचना को उपांतरित करता है, निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुयोज्य और गैर-अनुयोज्य और प्रथम तृश्यटा राय रिपोर्ट को प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए शिकायतों को वापस लेने पर रोक लगाने के लिए और अनुशासनिक निदेशालय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 90 अधिनियम की धारा 21क को प्रतिस्थापित करती है जिसमें केन्द्रीय सरकार को एक या एक से अधिक अनुशासनिक बोई को स्थापित करने के लिए सशक्त करती है जिसमें प्रत्येक एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्यों से मिलकर

बनेगी, जिसमें से एक परिषद द्वारा और एक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । आगे यह अनुशासनिक बोर्ड द्वारा जांच को पूर्ण करने के लिए समय सीमा नियत करता है, अनुशासनिक बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है, संस्थान के सदस्यों द्वारा अवचार के लिए शास्ति उपबंधों को उपांतरित करता है, कंपनी सचिवों को अनुशासनात्मक तंत्र के दायरे में लाने और विधेयक के अधीन आरोपित की गई शास्ति का भुगतान न करने पर रजिस्टर से नाम हटाने के लिए परिषद को सशक्त बनाने का उपबध करता है ।

विधेयक का खंड 91 अधिनियम की धारा 21ख को संशोधित करने का उपबंध करता है ताकि केन्द्रीय सरकार को एक या अधिक अनुशासनिक समितियां स्थापित करने का अधिकार मिल सके, जिसमे से प्रत्येक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित एक पीठासीन अधिकारी और चार सदस्य होंगे जिसमें से दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित और दो परिषद द्वारा नामित होंगे । इसके अतिरिक्त यह अनुशासनिक समितियों द्वारा जांच पूरी करने के लए समय सीमा निर्धारित करने और केन्द्रीय सरकार को उसके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाने, संस्थान के सदस्यों द्वारा कदाचार के लिए शास्ति उपबंधों को उपांतरित करने और अनुशासनिक समितियों की सीमा के अधीन कंपनी सचिवों के फर्म में शामिल करने का प्रावधान करता है । यह विधेयक के अधीन आरोपित की गई शास्ति का भुगतान न करने पर रजिस्टर से नाम हटाने के लिए परिषद को सशक्त बनाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 92 अधिनियम की धारा 21 ग का संशोधन करके संस्थान के सदस्य के स्पष्टीकरण का लोप करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 93 प्रस्तावित संशोधन के संबंध में संक्रमण उपबंधों को बनाने के लिए अधिनियम की धारा घ को प्रतिस्थापित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 94 वृत्तिक या अन्य कदाचरण की परिभाषा को उपांतरित करने को लिए अधिनियम की धारा 22 को प्रतिस्थापित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 95 अधिनियम की धारा 22ड. में संशोधन करके अनुशासनिक तंत्र के दायर में कंपनी सचिवों के फर्म का समावेश करने के लिए, सदस्यों को परिभाषित करने और अनुशासनिक कार्यों के प्रयोजन के लिए फर्म और किसी अन्य विधि के अधीन संस्थान के साथ सदस्यों या रजिस्ट्रीकृत फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई का दायरा प्रदान करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 96 संस्थान आदि के सदस्य होने का झूठा दावा करने के लिए शास्ति बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 24 को संशोधित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 97 कंपनी सचिव आदि की उपाधि प्रदान करने, परिषद का नाम उपयोग करने के लिए शास्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 25 को संशोधित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 98 कंपनी सचिव पद में शामिल नहीं होने से प्रतिषिद्द कंपनियों के लिए शास्ति बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 26 को संशोधन करने का उपबंध

करता है ।

विधेयक का खंड 99 अनर्हित व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों के हस्ताक्षर के लिए शास्तियों को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 27 को संशोधन करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 100 क्वांलिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के लिए अतिरिक्त कार्यों के लिए अधिनियम की धारा 29 ख में संशोधन करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 101 अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करके, चार्टर्ड आकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समन्वय समिति समझी जाएगी, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 102 अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करके शब्द "रजिस्टर" के स्थान पर "सदस्यों का रजिस्टर" शब्दों को रखे जाने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 103 अधिनियम की धारा 38क का संशोधन करके केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 104 अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करके परिषद को विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 105 अधिनियम की पहली अनुसूची को संशोधित करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 106 अधिनियम की दूसरी अनुसूची को संशोधित करने का उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 34, केंद्रीय सरकार को, अनुशासनिक निदेशालय के समक्ष सूचना या शिकायत फाइल करने के लिए प्ररूप और फीस, निदेशक (अनुशासन) द्वारा अनुयोज्य या गैर अनुयोज्य के रूप में शिकायत या सूचना के विनिश्चय की रीति, अनुशासनिक निदेशालय द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया और अनुशासन बोर्ड तथा अनुशासनिक समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और ऐसे बोर्ड या समिति द्वारा अधिरोपित जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा का उपबंध करने के लिए, नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 35, भारतीय चार्टर्ड अकाऊन्टेंट संस्थान की परिषद् को, संस्थान के किसी सदस्य की अर्हताओं, उन परिस्थितियों, जिनमें व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा, व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने या उससे इंकार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों, कृत्यों, वेतन, फीस, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों की रीति, परिषद् के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने की रीति, संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति, वह रीति, जिसमें संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी, फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों, फर्मों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति, वह रीति, जिसमें संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी, अनुशासन बोर्डों और अनुशासनिक समितियों के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों को संदेय भत्ते, अनुयोज्य सूचना और शिकायतों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति, अनुशासन बोर्डों, अनुशासनिक समितियों और अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्तियों, ऐसे बोर्डों और समितियों में नामनिर्देशन के लिए व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति के लिए, विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 70, केंद्रीय सरकार को, अनुशासनिक निदेशालय के समक्ष सूचना या शिकायत फाइल करने का प्ररूप और उसकी फीस, निदेशक (अनुशासन) द्वारा अनुयोज्य या गैर अनुयोज्य के रूप में शिकायत या सूचना का विनिश्चय करने की रीति, अनुशासनिक निदेशालय द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया, अनुशासन बोर्डों और अनुशासनिक समितियों द्वारा मामले पर विचार करते समय प्रक्रिया और ऐसे बोर्ड या समिति द्वारा अधिरोपित जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा का उपबंध करने के लिए, नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

4. विधेयक का खंड 71, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की परिषद् को, उन परिस्थितियों, जिनमें व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा, व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने या उससे इंकार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों, कृत्यों, वेतन, फीस, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों की रीति, परिषद् के वार्षिक लेखाओं को

तैयार करने की रीति, संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति, फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों, फर्मों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति, वह रीति, जिसमें संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी, अनुशासन बोर्डों, अनुशासनिक समितियों और अपील प्राधिकारी द्वारा अनुयोज्य सूचना और शिकायतों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति, तथा उनके द्वारा अधिरोपित शास्तियों, अनुशासन बोर्डों और अनुशासनिक समितियों में नामनिर्देशन के लिए व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति और ऐसे बोर्डों और समितियों के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों को संदेय भत्तों को विहित करने के लिए, विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

5. विधेयक का खंड 103, केंद्रीय सरकार को, अनुशासनिक निदेशालय के समक्ष सूचना या शिकायत फाइल करने का प्ररूप और उसकी फीस, निदेशक (अनुशासन) द्वारा अनुयोज्य या गैर अनुयोज्य के रूप में शिकायत या सूचना के विनिश्चय की रीति, अनुशासनिक निदेशालय द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया तथा अनुशासन बोर्डों और अनुशासनिक समितियों द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और ऐसे बोर्डों या समितियों द्वारा अधिरोपित जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा का उपबंध करने के लिए, नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

6. विधेयक का खंड 104, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद् को, उन परिस्थितियों को, जिनमें व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा, विहित करने के लिए परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों, व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने या उससे इंकार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों, कृत्यों, वेतन, फीस, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों की रीति, परिषद् के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने की रीति, फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों, फर्मों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति, वह रीति, जिसमें संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी, अनुशासन बोर्डों, अनुशासनिक समितियों और अपील प्राधिकारी द्वारा अनुयोज्य सूचना और शिकायतों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति, तथा उनके द्वारा अधिरोपित शास्तियों, अनुशासन बोर्डों और अनुशासनिक समितियों में नामनिर्देशन के लिए व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति और अनुशासन बोर्डों और अनुशासनिक समितियों के पीठासीन अधिकारियों तथा ऐसे बोर्डों और समितियों के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्तों को विहित करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

7. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक 38) से उद्धरण

चार्टर्ड अकाउन्टेण्टों की वृत्ति के विनियमन के लिए उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

चार्टर्ड अकाउन्टेण्टों की वृत्ति] के विनियमन के लिए और उस प्रयोजनार्थ चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट संस्थान स्थापित करने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :

* * * * * *

निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

* * * * * *

(ग) "परिषद्" से संस्थान की परिषद् अभिप्रेत है;

* * * * * *

(ङक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

* * * * * *

(छ) "रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन रखा गया सदस्यों का रजिस्टर अभिप्रेत है

* * * * * *

रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि ।

4. (1) निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने भारत के बाहर ऐसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसा अन्य प्रशिक्षण पूरा किया है जिसे केन्द्रीय सरकार ने या परिषद् ने संस्थान के सदस्यों के लिए विहित परीक्षा और प्रशिक्षण के समतुल्य के रूप में मान्यता दी है :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जो स्थायी रूप से भारत में निवास नहीं कर रहा है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या परिषद् ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जैसी वह ठीक समझे;

(vi) भारत में अधिवसित कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी विदेशी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा है और साथ-साथ, चाहे भारत में या भारत

के बाहर, प्रशिक्षण ले रहा है, या जो ऐसी विदेशी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रारंभ पर, चाहे भारत में या चाहे भारत के बाहर, प्रशिक्षण ले रहा है:

परन्तु यह तब जब कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व संपरीक्षक प्रमाणपत्र नियम, 1932 के अधीन अकाउन्टेण्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के अधिकार को प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी कोई परीक्षा या ऐसा कोई प्रशिक्षण मान्यताप्राप्त है, और इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् पांच वर्ष के अन्दर, ऐसा व्यक्ति उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है या उस प्रशिक्षण को पूरा कर लेता है ।

* * * * * *

(3) उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv), खंड (v) और खंड (vi) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से आवेदन किए जाने और उसके मंजूर किए जाने पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाएगा:

परन्तु परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

5. (1) * * * * * अध्येता और सहयुक्त ।

(3) ऐसा कोई भी सदस्य जो सहयुक्त है और जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् या चाहे भागतः इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व और भागतः उसके पश्चात् भारत में काम-से-कम पांच वर्ष तक लगातार व्यवसाय करता रहा है तथा ऐसा कोई सदस्य जो कम-से-कम पांच वर्ष की कालावधि तक लगातार सहयुक्त रहा है और साथ ही जिसकी ऐसी अर्हताएं हैं जैसी परिषद् यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विहित करे कि उसका अनुभव चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पांच वर्ष की कालावधि तक के लगातार व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप प्रसामान्यतः हो जाने वाले अनुभव के समतुल्य है, ऐसी फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और विहित रीति से आवेदन किए जाने और अनुज्ञात होने पर रजिस्टर में संस्थान के अध्येता के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा और वह अपने नाम के आगे एफसीए अक्षरों का यह उपदर्शित करने के लिए प्रयोग करने का हकदार होगा कि वह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का अध्येता है:

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

व्यवसाय-प्रमाणपत्र ।

6. (1) * * * * *

(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य अपने प्रमाणपत्र के लिए ऐसी वार्षिक फीस देगा, जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए, जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी फीस हर वर्ष में पहली अप्रैल को या उसके पूर्व देय होगी:

परंतु परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

निर्योग्यताएं ।

8. धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने या बनाए रखने का हकदार उस दशा में नहीं होगा जिसमें कि—

* * * * * *

(iii) वह अनुन्मुक्त दिवालिया है, या

* * * * * *

(v) उसे, चाहे भारत में के या भारत के बाहर के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है और जो निर्वासन, या कारावास से, दण्डनीय है या ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जो नाम को ही अपराध नहीं है, और जिसे उसने अपनी वृत्तिक हैसियत में किया है, तब के सिवाय, जब कि किए गए अपराध के बारे में या तो उसे क्षमा दे दी गई है या इस निमित्त उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने लिखित आदेश द्वारा उस निर्योग्यता को दूर कर दिया है, या

* * * * * *

अध्याय 3

संस्थान की परिषद्

संस्थान की परिषद् का गठन ।

9. (1) * * * * *

(2) परिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) बत्तीस से अनधिक व्यक्ति, जिनका निर्वाचन संस्थान के सदस्यों द्वारा संस्थान के उन अध्येताओं में से किया जाएगा जो ऐसी रीति से और ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने गए हैं जो विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु संस्थान का कोई अध्येता जिसे किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है या उस पर जुर्माने की शास्ति अधिनिर्णीत की गई है, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम को हटाने की अवधि की समाप्ति से या जुर्माने के संदाय पर,—

(i) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में तीन वर्ष की अवधि के लिए;

(ii) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में, छह वर्ष की अवधि के लिए,

निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) आठ से अनधिक व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

* * * * * *

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान का लेखापरीक्षक रहा है, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए उसके लेखापरीक्षक न रहने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा ।

* * * * * *

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

12. (1) परिषद् अपने पहले अदिवेशन में अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को, क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी, और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब-तब परिषद् दूसरे व्यक्ति को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी:

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित परिषद् का सदस्य, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा, जब तक कि इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता ।

(2) अध्यक्ष परिषद् का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा ।

* * * * * *

सदस्यता से त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियां ।

13. (1) * * * * *

(2) परिषद् के सदस्य के बारे में यह बात कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है उस दशा में समझी जाएगी जिसमें कि परिषद् ने उसकी बाबत यह घोषणा कर ली हो कि पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना वह परिषद् के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा है, या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उस पर जुर्माने की शास्ति अधिनिश्चित की गई है अथवा धारा 20 के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर से उसका नाम किसी हेतुक से हटा दिया गया है ।

* * * * * *

परिषद् का कार्यकाल और उसका विघटन ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन गठित किसी परिषद् का कार्यकाल उसके पहले अधिवेशन की तारीख से तीन वर्ष का होगा, जिसके अवसान पर परिषद् का विघटन हो जाएगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक नई परिषद् गठित की जाएगी ।

* * * * * *

परिषद् के कृत्य ।

15. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

* * * * * *

(ख) नामावली में नाम प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा और उसके लिए फीस विहित करना;

(ग) आबद्ध सहायकों और संपरीक्षा सहायकों के नियोजन और प्रशिक्षण का विनियमन;

(घ) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए अर्हताएं विहित करना;

* * * * * *

(च) इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या इंकार करना;

(छ) चार्टर्ड अकाउन्टेण्टों के रूप में व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यक्तियों के रजिस्टर रखा जाना और उसका प्रकाशन;

(ज) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण;

(झ) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए रजिस्टर से नामों को काटना और रजिस्टर में ऐसे नामों को पुनः दर्ज करना, जिनको काट दिया गया है;

* * * * * *

(ठ) किसी पुस्तकालय का अनुरक्षण और लेखाकर्म से संबंधित पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन;

* * * * * *

अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आदि।

16. (1) परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए,—

(क) सचिव की ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्ति करेगी जो विहित किए जाएं;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) की, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्ति करेगी जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन समनुदेशित किए जाएं ।

(2) परिषद्,—

* * * * * *

(ग) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भी विहित कर सकेगी;

* * * * * *

परिषद् के वित्त ।

18. (1) * * * * *

(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए और वे परिषद् द्वारा हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन होंगे :

परन्तु परिषद् का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले चार वर्ष के

दौरान परिषद् का सदस्य रहा है या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सदस्य का भागीदार रहा है, इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि परिषद् के लेखे उसके वित्त की सही और उचित स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं तो परिषद् स्वयं एक विशेष लेखा संपरीक्षा करवा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को ऐसी सूचना भेजी जाती है कि परिषद् के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति की सही और उचित स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो, उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगी।

* * * * * *

अध्याय 4

सदस्यों का रजिस्टर

रजिस्टर ।

19. (1) परिषद् संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर विहित रीति से रखेगी ।

* * * * * *

(4) संस्थान का प्रत्येक सदस्य, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने पर ऐसी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी:

* * * * * *

रजिस्टर से नाम का काट दिया जाना ।

20. (1) * * * * *

(3) यदि किसी सदस्य का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है तो आवेदन की प्राप्ति पर उसका नाम, अवधारित वार्षिक फीस और प्रवेश फीस के बकाया तथा ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा:

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दो हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

अध्याय 5

अवचार

अनुशासन निदेशालय ।

21. (1) परिषद् अधिसूचना द्वारा अनुशासन निदेशालय की स्थापना करेगी जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) के रूप में अभिहित संस्थान का कोई अधिकारी होगा और उसको प्राप्त इत्तिला या शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने के लिए ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे ।

(2) निदेशक (अनुशासन) विहित फीस के साथ किसी इत्तिला या शिकायत की

प्राप्ति पर अभिकथित अवचार के घटित होने के बारे में किसी प्रथमदृष्टया राय पर पहुंचेगा ।

(3) जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनसूची में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन बोर्ड के समक्ष मामले को रखेगा और जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या दोनों अनुसूचियों में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां मामले को अनुशासन समिति के समक्ष रखेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण करने के लिए अनुशासन निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) जहां कोई परिवादी परिवाद को वापस लेता है वहां निदेशक (अनुशासन) इस प्रकार वापस लेने को, यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष रखेगा और उक्त बोर्ड या समिति, यदि उसकी यह राय है कि परिस्थितियों में ऐसा वांछनीय है तो उसे किसी भी प्रक्रम पर वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

अनुशासन बोर्ड ।

21क. (1) परिषद् अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,—

(क) विधि में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुशासनिक विषयों और वृत्तिक ज्ञान हो, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा;

(ख) दो ऐसे सदस्य जिनमें से एक सदस्य परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् का सदस्य होगा और अन्य सदस्य विधि अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामानिर्देशित किया जाएगा;

(ग) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड अपने समक्ष सभी मामलों के संबंध में संक्षिप्त निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(3) जहां अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना;

(ख) सदस्य के नाम को तीन मास की अवधि तक के लिए रजिस्टर से हटाना;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) निदेशक (अनुशासन), जहां उसकी यह राय है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है वहां अनुशासन बोर्ड के समक्ष सभी इत्तिला और परिवाद रखेगा और यदि अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत हो तो मामले को बंद कर

सकेगा या असहमति की दशा में निदेशक (अनुशासन) को मामले में आगे अन्वेषण करने की सलाह दे सकेगा ।

अनुशासन समिति ।

21ख. (1) परिषद् एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जो पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगी:

परन्तु परिषद्, जब भी वह उचित समझे, अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) अनुशासन समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) जहां अनुशासन समिति की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाही करेगी, अर्थात्, :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना;

(ख) सदस्य के नाम को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, रजिस्टर से हटाना;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिपोपित करना जो वह ठीक समझे, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

प्राधिकरण अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

21ग. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को निम्नलिखित विषयों की बाबत वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश कराना; या

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना ।

स्पष्टीकरण—धारा 21, धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, "संस्थान के सदस्य" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था भले ही वह जांच के समय संस्थान का सदस्य न रहा हो ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से पूर्व परिषद् के समक्ष लंबित सभी परिवादों या अनुशासन समिति द्वारा आरंभ की गई किसी जांच या उच्च न्यायालय को किए गए किसी निर्देश या अपील का, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा इस प्रकार शासित होना जारी रहेगा मानो यह अधिनियम, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन] अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित न किया गया हो ।

परिभाषित वृतिक या अन्य अवचार ।

22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "वृत्तिक या अन्य अवचार" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसा कोई कार्य या लोप आता है जो अनुसूचियों में से किसी अनुसूची में उपबंधित है, किन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त शक्ति या उस पर अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या कम करती है ।

* * * * * *

प्राधिकरण को अपील ।

22छ. (1) धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिपोपित करने वाले अनुशासन बोर्ड या अनुशास समिति के किसी आदेश से व्यथित संस्थान का कोई सदस्य, उस तारीख से, नब्बे दिन के भीतर जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु निदेशक (अनुशासन), यदि परिषद् द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, प्राधिकरण को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परंतु यह और कि प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, किसी मामले के अभिलेख को मंगाने के पश्चात्, धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) के अधीन अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा और—

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा;

(ग) मामले को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति को ऐसी और जांच किए जाने के लिए प्रति प्रेषित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या

(घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण ठीक समझे:

परंतु प्राधिकरण कोई आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

शास्तियां

सदस्य, इत्यादि होने का झूठा दावा करने के लिए शास्ति ।

24. जो कोई व्यक्ति–

(i) संस्थान का सदस्य न होते हुए–

(क) यह व्यपदेशन करेगा कि मैं संस्थान का सदस्य हूं, या

(ख) चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट अभिधान प्रयुक्त करेगा, या

(ii) संस्थान का सदस्य होते हुए किन्तु व्यवसाय प्रमाणपत्र न रखते हुए यह व्यपदेशन करेगा कि मैं चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट का व्यवसाय कर रहा हूं या उस रूप में व्यवसाय करता हूं,

वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

परिषद् के नाम का प्रयोग करने, चार्टर्ड लेखाकार्य की डिग्रियां देने इत्यादि के लिए शास्ति

24क. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * * *

कम्पनियों का लेखाकर्म में न लगना ।

25. (1) * * * * *

(2) यदि कोई कम्पनी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगी तो ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो कम्पनी के विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव और अन्य कोई अधिकारी, जो ऐसे उल्लंघन का जानबूझकर पक्षकार है, जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अनर्हित व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किया जाना ।

26. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, पहली दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो

सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 8

प्रकीर्ण

पारस्परिकता ।

29. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन होते हुए, परिषद् वे शर्तें, यदि कोई हों, विहित कर सकेगी, जिन पर लेखाकर्म संबंधी विदेशी अर्हताओं को रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाएगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

29क. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध सकेंगे, अर्थात्:—

* * * * * *

(ग) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया;

(घ) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार किए जाते समय प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्तों का नियतन;

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

* * * * * *

(ख) संस्थान के सदस्य के रूप में रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करने के लिए अर्हताएं;

* * * * * *

(ङ) वह रीति, जिससे और वे शर्तें जिन पर रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के लिए आवेदन किए जा सकेंगे;

* * * * * *

(ज) रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां;

* * * * * *

(द) परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों और सेवकों की पदावधियां,

और शक्तियां, कर्तव्य और कत्य; और

* * * * * *

पहली अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21क (3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के संबंध में वृत्तिक अवचार

व्यवसाय करने वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्तिक अवचार का दोषी उस दशा में समझा जाएगा, जिसमें कि वह—

* * * * * *

(9) किसी कंपनी से पहले यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 225 की अपेक्षाओं का ऐसी नियुक्ति के संबंध में सम्यक् रूप से अनुपालन हो गया है उसके संपरीक्षक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करता है;

1956 का 1

* * * * * *

दूसरी अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21ख (3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि व्यवसाय करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट—

* * * * * *

(3) ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह पूर्वानुमान का ठीक होना प्रमाणित करता है, अपने नाम को या अपनी फर्म के नाम को, उन उपार्जनों के प्राक्कलन के संबंध में जो कि भविष्यवर्ती संव्यवहारों पर समाश्रित है, प्रयुक्त करने की अनुज्ञा देता है;

* * * * *

लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

लागत और संकर्म लेखापालों की वृत्ति के विनियमन के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

* * * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 है ।

* * * * * *

परिभाषाएं और निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(ग) "परिषद्" से संस्थान की परिषद् अभिप्रेत है ;

(घ) "विघटित कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत लागत और संकर्म लेखापालों का संस्थान अभिप्रेत है ; 1956 का 1

(ङ) "अध्येता" से संस्थान का अध्येता अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(चक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(झ) "रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन रखा गया सदस्यों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

* * * * * *

अध्याय 2

लागत और संकर्म लेखापालों का संस्थान

* * * * * *

रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि ।

4. (1) निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए हकदार होगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने भारत के बाहर ऐसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसा अन्य प्रशिक्षण पूर्ण किया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या परिषद् द्वारा संस्थान के सदस्यों के लिए विहित परीक्षा और प्रशिक्षण के समतुल्य के रूप में मान्यता दी गई है :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जो भारत में स्थायी रूप में निवास नहीं कर रहा है, केन्द्रीय सरकार या परिषद् ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जैसी कि वह ठीक समझे ;

(v) भारत में अधिवसित कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ में किसी विदेशी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा है, और साथ-साथ, चाहे भारत में या भारत के बाहर, प्रशिक्षण ले रहा है, या जो ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रारंभ पर, चाहे भारत में या भारत के बाहर प्रशिक्षण ले रहा है :

परन्तु यह तब जबकि ऐसी विदेशी परीक्षा और प्रशिक्षण को केन्द्रीय सरकार या परिषद् द्वारा इस निमित्त मान्यता दी गई हो :

परन्तु यह और भी कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच वर्ष के अन्दर, ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लेता है ।

* * * * * *

(3) उपधारा (1) के खंड (ii), (iii), (iv) और (v) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का

प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने और ऐसी फीसों के संदाय पर जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए, जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाएगा :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

5. (1) * * * * * अध्येता और सहयुक्त ।

(4) कोई भी सदस्य जो सहयुक्त है और जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् या भागत: इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व और भागत: इसके पश्चात्, भारत में कम-से-कम पांच वर्ष तक लगातार व्यवसाय कर रहा है तथा ऐसा कोई सदस्य, जो कम-से-कम पांच वर्ष की कालावधि तक लगातार सहयुक्त रहा है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जिन्हें परिषद् यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विहित करे कि उसका अनुभव लागत लेखापाल के रूप में पांच वर्ष की कालावधि तक के लगातार व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप प्रसामान्यत: हो जाने वाले अनुभव के समतुल्य है, ऐसी फीसों के संदाय पर जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएं जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होंगी और विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने पर रजिस्टर में संस्थान के अध्येता के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि उस कालावधि में उसने वास्तविक रूप में व्यवसाय नहीं किया है, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी कालावधि तक भारत में वह व्यवसाय किया है जिसके लिए उसके पास धारा 6 के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र है ।

स्पष्टीकरण 2—उस लगातार कालावधि की, जिसके दौरान कोई व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त रहा है, संगणना करने में ऐसी लगातार अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान वह व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त होने से ठीक पूर्व विघटित कंपनी का सहयुक्त रहा है ।

* * * * * *

6. (1) * * * * * व्यवसाय का प्रमाणपत्र ।

(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य अपने प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा और ऐसी वार्षिक फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए और जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी फीस प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को या उससे पूर्व देय होगी :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक

की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि यदि संस्थान के किसी सदस्य ने जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व व्यवसाय कर रहा था, ऐसे प्रारंभ से एक मास के अंदर व्यवसाय प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन दिया है तो उसके बारे में इस कारण कि उसने ऐसे प्रारंभ और आवेदन के निपटारे के बीच की अवधि के दौरान व्यवसाय किया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है ।

* * * * * *

निर्योग्यताएं ।

8. धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने या बनाए रखने का हकदार उस दशा में नहीं होगा जिसमें कि—

* * * * * *

(iii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या

* * * * * *

(v) उसे, चाहे भारत में के या भारत के बाहर के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है और जो कारावास से दण्डनीय है, या ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जो तकनीकी प्रकृति का नहीं है और जिसे उसने अपनी वृत्तिक हैसियत में किया है, तब के सिवाय, जबकि किए गए अपराध के बारे में या तो उसे क्षमा दे दी गई है या इस निमित्त उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने लिखित आदेश द्वारा उस निर्योग्यता को दूर कर दिया है, या

* * * * * *

अध्याय 3

संस्थान की परिषद्

संस्थान की परिषद् का गठन ।

9. (1) * * * * *

(2) परिषद् का गठन, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :—

(क) पंद्रह से अनधिक व्यक्तियों को जिन्हें संस्थान के सदस्यों द्वारा उसके ऐसे अध्येताओं में से निर्वाचित किया जाएगा, जिनको ऐसी रीति से और ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों से चुना गया है जो विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु संस्थान का कोई अध्येता जिसे किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है या उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम हटाए जाने की अवधि के पूरा होने से या जुर्माने के संदाय से,—

(i) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में, तीन वर्ष की अवधि तक ;

(ii) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में, छह वर्ष की अवधि तक,

निर्वाचन लड़ने का पात्र नहीं होगा ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नामनिर्देशित पांच से अनधिक व्यक्ति ।

* * * * * *

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान का लेखापरीक्षक रहा है, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए उसके लेखापरीक्षक न रहने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक पात्र नहीं होगा ।

* * * * * *

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

12. (1) परिषद् अपने पहले अधिवेशन में अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी, और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब-तब परिषद् किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी :

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन तब तक करेगा, जब तक कि इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता ।

* * * * * *

सदस्यता से त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियां ।

13. (1) * * * * *

(2) परिषद् के सदस्य के बारे में यह बात कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है उस दशा में समझी जाएगी जिसमें कि परिषद् ने उसकी बाबत यह घोषणा कर ली हो कि पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना वह परिषद् के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा है या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है अथवा धारा 20 के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर से उसका नाम किसी हेतुक से हटा दिया गया है ।

* * * * * *

परिषद् के कृत्य ।

15. (1) * * * * *

(2) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

* * * * * *

(ग) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए अर्हताएं विहित करना ;

* * * * * *

(ट) धारा 29ख के खंड (क) के अधीन की गई क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और उन पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट के साथ तीन मास के भीतर कार्रवाई करना तथा उनको वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित

करना ; और

* * * * * *

संस्थान के कृत्य।

15क. संस्थान के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

* * * * * *

(ङ) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर से नामों का हटाया जाना और रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन जिनको हटा दिया गया है ;

* * * * * *

अधिकारी और कर्मचारी, वेतन, भत्ते आदि ।

16. (1) परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए—

(क) परिषद् के सचिव की, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, नियुक्ति करेगी जो विहित किए जाएं ;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) की, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्ति करेगी जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन समनुदेशित किए जाएं ;

(ग) परिषद् के या संस्थान के एक अधिकारी को संस्थान के प्रशासनिक कृत्यों को करने के लिए उसके मुख्य कार्यपालक के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) परिषद्—

* * * * * *

(ग) परिषद् और संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भी विहित कर सकेगी ;

* * * * * *

परिषद् के वित्त ।

18. (1) * * * * *

(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए और वे परिषद् द्वारा हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे :

परंतु परिषद् का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले चार वर्ष के दौरान परिषद् का सदस्य रहा है या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सदस्य के साथ भागीदारी में है, इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि परिषद् के लेखे, परिषद् की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो परिषद् स्वयं विशेष संपरीक्षा करा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसी सूचना कि परिषद् के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी और ऐसे अन्य कार्य कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और केन्द्रीय सरकार को उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगी ।

* * * * * *

अध्याय 4

सदस्यों का रजिस्टर

रजिस्टर ।

19. (1) परिषद् संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर विहित रीति में रखेगी ।

* * * * * *

(4) संस्थान का प्रत्येक सदस्य, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए और जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

रजिस्टर से नाम का निकाल दिया जाना ।

20. (1) * * * * *

(3) यदि किसी सदस्य का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है तो आवेदन की प्राप्ति पर, उसका नाम, वार्षिक फीस और प्रवेश फीस के बकाया तथा ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए और जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, रजिस्टर में पुन: प्रविष्ट किया जा सकेगा :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दो हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

अध्याय 5

अवचार

अनुशासन निदेशालय ।

21. (1) परिषद्, एक अनुशासन निदेशालय की स्थापना अधिसूचना द्वारा करेगी जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) के रूप में अभिहित संस्थान का कोई अधिकारी होगा और उसे प्राप्त किसी इत्तिला या परिवाद के संबंध में अन्वेषण करने के लिए ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे ।

(2) विहित फीस के साथ कोई इत्तिला या परिवाद प्राप्त होने पर निदेशक (अनुशासन) अभिकथित अवचार के घटित होने के बारे में किसी प्रथमदृष्ट्या राय पर पहुंचेगा ।

(3) जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राह है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन बोर्ड के समक्ष मामले को रखेगा और जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या दोनों अनुसूचियों में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन समिति के समक्ष मामले को रखेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण करने के लिए अनुशासनिक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) जहां परिवादी परिवाद को वापस लेता है वहां निदेशक (अनुशासन), ऐसी वापसी को, यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासनिक समिति के समक्ष रखेगा और उक्त बोर्ड या समिति यदि उसकी यह राय है कि परिस्थितियों में ऐसा वांछनीय है तो किसी प्रक्रम पर वापस लेने को अनुज्ञात कर सकेगी ।

अनुशासन बोर्ड ।

21क. (1) परिषद् अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,—

(क) विधि में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुशासनिक विषयों और वृत्ति का ज्ञान हो, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा ;

(ख) दो ऐसे सदस्य जिनमें से एक परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा ;

(ग) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड अपने समक्ष सभी मामलों पर विचार करते समय संक्षिप्त निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(3) जहां अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड करना ;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से तीन मास की अवधि तक के लिए हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) निदेशक (अनुशासन), जहां उसकी यह राय है कि कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं है वहां अनुशासन बोर्ड के समक्ष सभी इत्तिला और परिवाद रखेगा और यदि अनुशासन बोर्ड निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत हो तो मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में निदेशक (अनुशासन) को मामले में और अन्वेषण करने की सलाह दे सकेगा ।

अनुशासन समिति ।

21ख. (1) परिषद् एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जो पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगी :

परन्तु परिषद्, जब भी वह आवश्यक समझे, अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) अनुशासन समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय,

ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विहित की जाए ।

(3) जहां अनुशासन समिति की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्रवाई करेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना ;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि तक के लिए जिसे वह ठीक समझे, हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

21ग. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को निम्नलिखित विषयों की बाबत वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसका प्रस्तुतीकरण ; और

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ।

स्पष्टीकरण—धारा 21, धारा 21क, धारा 21ख, धारा 22ग और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, "संस्थान के सदस्य" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था भले ही वह जांच के समय संस्थान का सदस्य न रहा हो ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

21घ. लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से पूर्व परिषद् के समक्ष लम्बित सभी परिवाद या अनुशासन समिति द्वारा प्रारंभ की गई कोई जांच या उच्च न्यायालय को किया गया कोई निर्देश या अपील इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा ऐसे शासित होती रहेगी मानो लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा इस अधिनियम का संशोधन किया ही न गया हो ।

वृत्तिक या अन्य अवचार की परिभाषा ।

22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वृत्तिक या अन्य अवचार" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसा कार्य या लोप आता है जो अनुसूचियों में से किसी अनुसूची में उपबंधित है किन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी रूप में किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त शक्ति या उसको अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या

कम करती है ।

* * * * * *

प्राधिकरण को अपील ।

22ङ. (1) धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित करने वाले अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के किसी आदेश से व्यथित संस्थान का कोई सदस्य उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु निदेशक (अनुशासन), यदि परिषद् द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, प्राधिकरण को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ऐसी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

शास्तियां

सदस्य, इत्यादि होने का झूठा दावा करने के लिए शास्ति ।

24. जो कोई व्यक्ति,—

(i) संस्थान का सदस्य न होते हुए—

(क) यह व्यपदेशन करेगा कि मैं संस्थान का सदस्य हूं, या

(ख) लागत लेखापाल अभिधान का प्रयोग करेगा, या

(ii) संस्थान का सदस्य होते हुए किन्तु व्यवसाय का प्रमाणपत्र नहीं रखते हुए ऐसा व्यपदेशन करेगा कि मैं लागत लेखापाल के रूप में व्यवसाय में लगा हूं, या उस रूप में व्यवसाय कर रहा हूं,

वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

परिषद् के नाम का प्रयोग करने; लागत लेखाकर्म में डिग्रियां देने इत्यादि के लिए शास्ति ।

25. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * * *

कम्पनियों का लागत लेखाकर्म में न लगना ।

26. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का कोई उल्लंघन प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो कि एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

27. (1) * * * * * अनर्हित व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किया जाना ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, पहली दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

34. (1) जहां कि इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य को धिग्दण्ड देने का आदेश किया जाता है, वहां रजिस्टर में उसके नाम के सामने दण्ड के बारे में अभिलिखित किया जाएगा । रजिस्टर में परिवर्तन और प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना ।

(2) जहां कि किसी सदस्य का नाम हटा दिया जाता है, वहां उससे इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त व्यवसाय प्रमाणपत्र वापिस ले लिया जाएगा और रद्द किया जाएगा ।

* * * * * *

38. (1) * * * * * व्यतिकर ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् वे शर्तें, यदि कोई हों, विहित कर सकेगी, जिन पर लागत लेखाकर्म सम्बन्धी विदेशी अर्हताओं को रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाएगी

38क. (1) * * * * * केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ग) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार किए जाने की प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्तों का नियतन ;

* * * * * *

39. (1) * * * * * विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ख) संस्थान के सदस्य के रूप में रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम

प्रविष्ट करने के लिए अर्हताएं,

* * * * * *

(च) वह रीति, जिससे और वे शर्तें, जिन पर रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने के लिए आवेदन किए जा सकेंगे,

* * * * * *

(झ) रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां,

* * * * * *

(त) वह रीति, जिससे संस्थान के सदस्यों की वार्षिक सूची प्रकाशित होगी,

* * * * * *

(ध) परिषद् के सचिव और अन्य कर्मचारियों की पदावधियां और शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य,

* * * * * *

पहली अनुसूची

[धारा 21 (3), धारा 21क (3) और धारा 22 देखिए]

* * * * * *

दूसरी अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21ख(3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले लागत लेखापालों से संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि व्यवसाय करने वाला लागत लेखापाल—

* * * * * *

(3) ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह पूर्वानुमान का ठीक होना प्रमाणित करता है, अपने नाम को या अपनी फर्म के नाम को, लागत या उन उपार्जनों के प्राक्कलन के संबंध में जो कि भविष्यवर्ती संव्यवहारों पर समाश्रित है, प्रयुक्त करने की अनुज्ञा देता है ;

* * * * * *

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्यांक 56) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषा और निर्वचन ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(ख) "कंपनी अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है ;

1956 का 1

* * * * * *

(छक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(ञ) "रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन रखा गया संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(2) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संस्थान के किसी सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तब "व्यवसाय कर रहा है" जब वह व्यष्टितः या संस्थान के ऐसे एक या अधिक सदस्यों के साथ, जो व्यवसाय कर रहे हैं, भागीदारी में या मान्यताप्राप्त ऐसी अन्य वृत्तियों के, जो विहित की जाएं, सदस्यों के साथ भागीदारी में प्राप्त या प्राप्य पारिश्रमिक के प्रतिफलस्वरूप—

* * * * * *

(ग) ऐसी सेवाएं करने की प्रस्थापना करता है या सेवाएं करता है जो :—

* * * * * *

(vi) कंपनी के प्रबंध की बाबत, जिसके अन्तर्गत पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, रजिस्ट्रीकृत स्टाक एक्सचेंज द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आने वाला कोई विधिक या प्रक्रिया का विषय भी है, सलाहकार द्वारा, या

1947 का 29
1951 का 65
1956 का 1
1956 का 42
1969 का 54
1973 का 46

* * * * * *

रजिस्टर में नामों का दर्ज किया जाना ।

4. (1) निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने भारत के बाहर ऐसी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसा अन्य प्रशिक्षण पूरा किया है जिसे केन्द्रीय सरकार या परिषद् ने संस्थान की सदस्यता के लिए इस अधिनियम के अधीन विहित परीक्षा और प्रशिक्षण के समतुल्य मान्यता दी है :

परन्तु इस उपधारा में वर्णित वर्ग के किसी व्यक्ति की दशा में, जो भारत में स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा है, केन्द्रीय सरकार या परिषद् ऐसी और शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

* * * * * *

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग), खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से आवेदन किए जाने और उसके अनुज्ञात

होने और ऐसी फीसों के संदाय पर जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाएं, जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाएगा :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

सहयुक्त और अधिसदस्य ।

5. (1) * * * * *

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सहयुक्त है और जो कम्पनी सचिव के रूप में भारत में कम से कम पांच वर्ष तक लगातार व्यवसाय करता रहा है और ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक लगातार सहयुक्त रहा है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं या व्यवहारिक अनुभव हैं जो परिषद् यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विहित करे कि उसके पास कंपनी सचिव के रूप में पांच वर्ष की अवधि तक के लगातार व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप सामान्यतः अर्जित अनुभव के समतुल्य अनुभव है, ऐसी फीसों के संदाय पर जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएं, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और विहित रीति से आवेदन किए जाने पर और उसके अनुज्ञात होने पर रजिस्टर में अध्येता के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में, इस बात के होते हुए भी कि उस कालावधि में उसने वास्तविक रूप में व्यवसाय नहीं किया है, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी अवधि तक भारत में वह व्यवसाय किया है जिसके लिए उसके पास धारा 6 के अधीन व्यवसाय-प्रमाणपत्र है ।

स्पष्टीकरण 2—उस लगातार कालावधि की, जिसके दौरान कोई व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त रहा है, संगणना करने में ऐसी लगातार कालावधि सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान वह व्यक्ति संस्थान का सहयुक्त होने के ठीक पूर्व विघटित कंपनी का सहयुक्त रहा है ।

* * * * * *

व्यवसाय का प्रमाणपत्र ।

6. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई सदस्य जो व्यवसाय करने के लिए हकदार होना चाहता है अपने प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा और ऐसी वार्षिक फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए और जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी फीस प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पूर्व देय होगी :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं

होगी ।

* * * * * *

निर्योग्यताएं ।

8. धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने या बनाए रखने का हकदार उस दशा में नहीं होगा जब—

* * * * * *

(ग) वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या

* * * * * *

(ङ) उसे, चाहे भारत में के या भारत के बाहर के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है और जो कारावास से दण्डनीय है, या ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जो नाम मात्र का नहीं है और जिसे उसने अपनी वृतिक हैसियत में किया है, किन्तु उस दशा को छोडकर जब कि किए गए अपराध के बारे में या तो उसे क्षमा दे दी गई है या इस निमित्त उसके द्वारा किए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार ने लिखित आदेश द्वारा उस निर्योग्यता को दूर कर दिया है, या

* * * * * *

अध्याय 3

संस्थान की परिषद्

संस्थान की परिषद् का गठन ।

9. (1) * * * * *

(2) परिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :—

(क) अधिक से अधिक पंद्रह ऐसे व्यक्ति जिसका निर्वाचन संस्थान के सदस्य संस्थान के उन अध्येताओं में से करेंगे, जो ऐसी रीति से और ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने गए हैं जो विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु संस्थान का कोई अध्येता जो किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम हटाने की अवधि की समाप्ति से या जुर्माने के संदाय से,—

(i) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले अवचार की दशा में तीन वर्ष की अवधि तक,

(ii) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले अवचार की दशा में, छह वर्ष की अवधि तक,

(ख) अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

* * * * * *

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान का लेखापरीक्षक रहा है, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए उसके लेखापरीक्षक न रहने के पश्चात्

तीन वर्ष की अवधि तक पात्र नहीं होगा ।

* * * * * *

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

12. (1) परिषद् अपने पहले अधिवेशन में अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी और जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब परिषद् किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी :

परन्तु विघटित कंपनी की परिषद् का अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसा पद तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि इस उपधारा के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता है ।

* * * * * *

सदस्यता से त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियां ।

13. (1) * * * * *

(2) परिषद् के किसी सदस्य के बारे में उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, जब परिषद् ने यह घोषणा कर दी हो कि वह परिषद् के या परिषद् द्वारा गठित किसी समिति के, जिसका वह सदस्य है, तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से, पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना अनुपस्थित रहा है या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उस पर जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की गई है, अथवा जब उसका नाम किसी कारण से धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर से निकाल दिया गया हो ।

* * * * * *

परिषद् के कृत्य ।

15. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् के कर्तव्यों निम्नलिखित बातें होंगी—

* * * * * *

(ग) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए अर्हताएं विहित करना ;

* * * * * *

संस्थान के कृत्य ।

15क. संस्थान के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

* * * * * *

(ङ) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर से नामों को हटाया जाना और रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन जिनको हटा दिया गया है ;

* * * * * *

अधिकारी, कर्मचारी, वेतन, भत्ते आदि ।

16. (1) परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए,—

(क) परिषद् का एक सचिव ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो विहित किए जाएं, नियुक्त करेगी ;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगी जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों

और विनियमों के अधीन समनुदेशित किए जाएं ;

(ग) परिषद् के या संस्थान के एक अधिकारी को संस्थान के प्रशासनिक कृत्यों को करने के लिए अपने मुख्य कार्यपालक के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) परिषद्,—

* * * * * *

(ग) परिषद् और संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी ;

* * * * * *

18. (1) * * * * * परिषद् का वित्त ।

(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाएं और वे परिषद् द्वारा हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे :

परन्तु परिषद् का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले चार वर्ष के दौरान परिषद् का सदस्य रहा है या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सदस्य के साथ भागीदारी में है, इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह लाया जाता है कि परिषद् के लेखे परिषद् की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो परिषद् स्वयं विशेष लेखा संपरीक्षा करा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि, ऐसी जानकारी कि परिषद् के लेखे इसकी वित्तीय स्थिति सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो, उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी या ऐसे अन्य कार्य करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और केन्द्रीय सरकार को इस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

* * * * * *

अध्याय 4

सदस्यों का रजिस्टर

19. (1) परिषद् संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर विहित रीति से रखेगी । रजिस्टर ।

* * * * * *

(4) संस्थान का प्रत्येक सदस्य, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए और जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

20. (1) * * * * * रजिस्टर से नाम का निकाला जाना ।

(3) यदि किसी सदस्य का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से

हटा दिया गया है तो आवेदन प्राप्त किए जाने पर उसका नाम बकाया वार्षिक फीस और प्रवेश फीस तथा ऐसी अतिरिक्त जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी का संदाय करने पर रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दो हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

अध्याय 5

अवचार

अनुशासन निदेशालय ।

21. (1) परिषद् उसे प्राप्त किसी इत्तिला या परिवाद के संबंध में अन्वेषण करने के लिए एक अनुशासन निदेशालय की स्थापना अधिसूचना द्वारा करेगी जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाभिहित संस्थान का कोई अधिकारी और उसमें अन्य कर्मचारी होंगे ।

(2) निदेशक अनुशासन विहित फीस के साथ किसी इत्तिला या परिवाद के प्राप्त हो जाने पर अभिकथित अवचार के घटित होने के बारे में प्रथमदृष्ट्या राय पर पहुंचेगा ।

(3) जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन बोर्ड के समक्ष मामले को रखेगा और जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या दोनों अनुसूचियों में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन समिति के समक्ष मामले को रखेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण करने के लिए अनुशासन निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) जहां परिवादी परिवाद को वापस लेता है वहां निदेशक (अनुशासन), ऐसी वापसी यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष ऐसे वापस लिए जाने को रखेगा, और उक्त बोर्ड या समिति यदि उसका यह मत है कि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित है तो किसी प्रक्रम पर वापस लेने को अनुज्ञात कर सकेगी ।

अनुशासन बोर्ड ।

21क. (1) परिषद् अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,—

(क) विधि में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुशासनिक विषयों और वृत्ति का ज्ञान हो, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा ;

(ख) दो ऐसे सदस्य जिनमें से एक परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन पदाभिहित व्यक्ति होगा ;

(ग) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड अपने समक्ष सभी मामलों पर विचार करते समय संक्षिप्त

निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(3) जहां अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाही करेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना ;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से तीन मास की अवधि तक के लिए हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) निदेशक (अनुशासन), जहां उसकी यह राय है कि कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं है वहां अनुशासन बोर्ड के समक्ष सभी इत्तिला और परिवाद रखेगा और यदि अनुशासन बोर्ड निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत हो तो वह मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में, निदेशक (अनुशासन) को मामले में और अन्वेषण करने की सलाह दे सकेगा ।

अनुशासन समिति ।

21ख. (1) परिषद् एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जो पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगी :

परन्तु परिषद्, जब भी वह आवश्यक समझे, अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) अनुशासन समिति, इसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) जहां अनुशासन समिति की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगी और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाही कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना ;

(ख) सदस्य के नाम को रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे और जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

* * * * * *

प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

21ग. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को निम्नलिखित विषयों की बाबत वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और उसका प्रस्तुतीकरण ; और

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ।

स्पष्टीकरण—धारा 21, धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, "संस्थान के सदस्य" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था भले ही वह जांच के समय संस्थान का सदस्य न रहा हो ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

21घ. कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ से पूर्व परिषद् के समक्ष लंबित सभी शिकायतें या अनुशासन समिति द्वारा आरंभ की गई कोई जांच या उच्च न्यायालय को किए गए किसी निर्देश या अपील का, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा इस प्रकार शासित होना जारी रहेगा मानो यह अधिनियम, कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित ही न किया गया हो ।

* * * * * *

परिभाषित वृतिका या अन्य अवचार की परिभाषा ।

22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "वृतिक या अन्य अवचार" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसा कार्य या लोप भी आता है जो अनुसूचियों में की किसी अनुसूची में उपबंधित है किन्तु इस धारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त किसी शक्ति या उसको अधिरोपित कर्तव्य को किसी प्रकार से सीमित या कम करती है ।

* * * * * *

प्राधिकरण को अपील ।

22ङ. (1) धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित करने वाले अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के किसी आदेश से व्यथित संस्थान का कोई सदस्य उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु निदेशक (अनुशासन) भी, यदि परिषद् द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, प्राधिकरण को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यह और कि प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल न कर पाने के पर्याप्त कारण थे, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ऐसी कोई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, किसी मामले के अभिलेख को मंगाने के पश्चात् धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) के अधीन अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा, और—

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा ;

(ग) मामले को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति को ऐसी और जांच किए जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ; या

(घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण ठीक समझे :

परन्तु प्राधिकरण, कोई आदेश पारित करने से पहले सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा ।

* * * * * *

अध्याय 7

शास्तियां

सदस्य, इत्यादि होने का मिथ्या दावा करने के लिए शास्ति ।

24. धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो कोई व्यक्ति—

(क) संस्थान का सदस्य न होते हुए—

(i) यह व्यपदेशन करेगा कि वह संस्थान का सदस्य है ; या

(ii) "कम्पनी सचिव" अभिधान का प्रयोग करेगा ; या

(iii) अपने नाम के पश्चात् "ए० सी० एस०" या "एफ० सी० एस०" अक्षरों का प्रयोग करेगा ; या

(ख) संस्थान का सदस्य होते हुए किन्तु व्यवसाय का प्रमाणपत्र न रखते हुए ऐसा व्यपदेशन करेगा कि वह कम्पनी सचिव के रूप में व्यवसाय कर रहा है, या उस रूप में व्यवसाय करता है,

वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

परिषद् के नाम का प्रयोग करने, या कम्पनी सचिव की डिग्री देने, के लिए शास्ति ।

25. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों का कम्पनी सचिव कार्य में न लगना ।

26. (1) * * * * *

(2) ऐसी कोई कम्पनी, जिसने उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी ।

अनर्हित व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न किया जाना ।

27. (1) * * * * *

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकेंगी, प्रथम दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

* * * * * *

अध्याय 10

प्रकीर्ण

रजिस्टर में परिवर्तन और प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना ।

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य को दण्ड देने का आदेश किया जाता है, वहां रजिस्टर में उसके नाम के सामने दण्ड लेखबद्ध किया जाएगा ।

(2) जहां किसी सदस्य का नाम हटा दिया जाता है, वहां उससे इस अधिनियम के अधीन दिया गया व्यवसाय-प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा ।

* * * * * *

व्यतिकारिता ।

38.(1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् वे शर्तें, यदि कोई हों, विहित कर सकेगी, जिन पर कंपनी सचिव-कार्य से संबंधित विदेशी अर्हताओं को रजिस्टर में दर्ज किए जाने के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

38क. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी, या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(ग) धारा 21 की उपधारा (4) के अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार किए जाने की प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्तों का नियतन ;

* * * * * *

39. (1) * * * * * विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(त) वह रीति जिससे संस्थान के सदस्यों की वार्षिक सूची धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की जा सकेगी ;

* * * * * *

पहली अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21क (3) और 22 देखिए]

भाग 1

* * * * * *

दूसरी अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21ख (3) और 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिवों से संबंधित में वृत्तिक अवचार

यदि व्यवसाय करने वाला कंपनी सचिव—

* * * * * *

(3) अपने नाम का या अपनी फर्म के नाम का ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह पूर्वानुमान का ठीक होना प्रमाणित करता है, किसी रिपोर्ट या विवरण के सम्बन्ध में जो कि भावी संव्यवहारों पर समाश्रित है, प्रयोग होने देता है ;

* * * * * *